श्री सिकन्दर बख्त : हाउस एडजॉर्न कीजिए, यह क्या बात है ?

†[شری سکندر بخت: ہاؤس ایڈجورن کیجئے۔ یہ کیا بات ہے؟]

SHRI G. SWAMINATHAN : I want only halt a minute, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have to adjourn the House for lunch. Mr. Minister, if there are certain queries in the minds of the Members regarding the Statement, regarding the stand of the Government, you can clarify all those points while replying.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Madam, the reply can be on Monday.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Monday? 0. K.

The House is adjourned for lunch till 230 P.M.

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock. The Vice Chairman (Shri MD. Salim) in the Chair.

RESOLUTION REGARDING FORMULA-lION OF SCHEMES TO IMPROVE THE CONDITION OF FARMERS.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Dr. Naunihal Singh to move his Resolution.

SHRI M. A. BABY (Kerala): Mr. Vice-Chairman, you can permit the hon. Member to speak from the front bench.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : क्या आप आगे आकर बोलना चाहेंगे ?

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I will speak from my seat. I move the following Resolution :

"This House notes with concern the plight of farmers in the wake of floods, heavy rains and drought conditions coupled with declining trend in agricultural growth, exploitation by middlemen, traders and wholesalers engaged in agricultural produce trade and urges upon Government to formulate schemes which may increase the- earning capacity of the farmers, particularly that of small and marginal cultivators and also encourage the educated rural youth to take to agriculture-related occupations thereby enhancing the quality of life in rural areas."

Mr. Vice-Chairman, Sir, since I am a farmer myself, I am deeply interested in the enhancement of the prosperity of the farmers. I am remained of the beautiful words said by Sardar Vallabh Bhai Patel, "The only culture I know is agriculture". Sir, true agriculture is the mother of all cultures. It is still the main profession that makes the world free from hunger and sustains the very life of several millions in the developing countries of the world. Indian agriculture, like its civilisation, is one of the oldest professions. There is an age-old saying in Hindi:

"उत्तम खेती, मध्यम बान
निकृष्ट चाकरी, भीख निदान"

If not so literally, I could say in English that agriculture has been considered to be the most superior and noble profession. Then comes trading. Service was considered to be a lowly profession, beggin being the worst and the end of life.

Sir, the rural and farming community, constituting two-thirds of India's population, has continued to receive a raw deal from the policy-makers, causing it to be impoverished over the decades since Independence. The greatest hurdle to India's progress is the neglect of land and human resource. Since Independence, India has been slipping down the laddar of economic prosperity. According to the World Bank estimates, the average *per capita* GNP of agriculturists is only 150 dollars and that of non-agriculturists 699 dollars. Hence the agriculturists in India are very near the lowest rung of the world economic ladder. Though India is considered as one of the eight industialised countries of the world, surprisingly, it is also listed as one of the ten poorest countries of the world. It is a paradox of the highest order. In Ihe whole world, the percentage of arable land to total land area is 11 whereas in India it is 51.5. The climate being so moderate, that it enables India to produce two crops a year whereas, in the other parts of the world, hardly one crop could be produced because they are colder

† [ ] Transliteration in Arabic script.

regions in the globe. Besides, India's irrigation potential is 178 million hectares which is 1.84 times as compared to the total land cultivated in Guna. According to the Food and Agriculture Organisation, the quantity of cereals produced in 1990 was 1893 Kgs. per hectare against the world average of 2802 Kgs. per hectare. If even the average world productivity is attained, India will have more than 90 million tonnes of surplus foodgrains for export. This is more than what the United States of America, the largest exporter of foodgrains, is exporting. This will earn a foreign exchange of not less than 13.5 billion dollars which is more than the earnings from our total exports. Agricultural production has always been ignored in India's planning with the result that 60 per cent of the agricultural production potential has remained unutilised and 22 per cent of the total cultivable land remained uncultivated and productivity is two-third's of the world average. The near collapse of the economy is attributable to Nehru's development strategy---------Nehru was in a hurry to industrialise the country and bring it on a par with the developed countries. He was naive not to realise that rapid development of India would not be possible without developing land and human resources. Moreover, rapid industrialisation was undertaken despite that. But it does not depend merely on installation of industrial plants but more so on a rapid increase on the demand of industrial goods. This demand has to be generated within the country by putting more purchasing power in the hands of the people, that is, by more equitable distribution of the national income of india. The most common people are the agriculturists whose total purchasing power has remained stagnant since 1970-71. Though the word 'socialism' hasgoneout of fashion, yet the Nehruvian policy has not essentially changed as the emphasis on industry at the cost of agriculture is still the dominant feature of the economic policy. Otherwise, how can it be explained that the terms of percentages, the combined public sector outlays on agriculture and allied activities have not substantially changed during the Eighth Plan from those in the earlier Plans? For example, the proposed total outlay of these programmes does not add up to more than 29.9 per cent whereas in the Seventh Plan, it was only-28.6 per cent and in the Sixth Plan, it was 29.6 per cent. The new policy-makers, while sticking to the old strategy of industrialisation, are hoping that the economy can be accelerated by giving a boost to exports. This effort will prove to be futile. No con ntry. including Japan, earns even 2 per cent of its national income through the balance of foreign trade. How can India do better? No cou ntry has yet prospered without first developing agriculture and human resources, not even USA, the EEC countries and Japan. The importance of agriculture, which has been recognised by these industrialised countries, is very well known and recognised by the fact how these developed countries have been wrangling on the GATT agreement, which the Government of India seems to be willing to sign, without even referring the matter to Parliament or without obtaining the approval of Parliament. The recent switch-over from Nehruvian mixed economy to Narasimha Rao's liberalisation will make no difference for the common man. On ihe contrary, a hike in diesel and fertilizer prices has hit the farmers and the exit policy will harm the industrial workers. In the Nehruvian mixed economy, private and State capitalism worked hand in glove and now what will happen? Domestic and foreign capitalism will work in a similar manner. Sir, the question is, how does the common man benefit by it?

Another question is, where is his partnership, either in decision-making or in sharing the benefits of high production? During the period 1950-51 to 1990-91, India's foodgrain production increased 3.46 times, from 50.8 million tonnes to 176 million tonnes. But the fact remains that even after 45 years of Independence and planned development achieving and sustaining self-sufficiency in food prodcution continues to be our primary concern since we never had a comprehensive agricultural policy. It is now realised that the short-term *ad hoc* policies would not succeed in bringing out any positive impact on the progress of agriculture. Surprisingly, about 410 million people still live below the poverty line and agriculture is an important and the only mechanism which can reduce poverty. The Green Revolution failed to reach all parts of the country. In particular, it failed to reach the rain-fed and dryland agriculture which covers not less than 70 per cent of the land under cultivation of the country. Sir, the claim of the Government that the incidence of poverty has substantially reduced does not carry conviction. The per capita consumption of the two most important needs of the common man — foodgrains and cloth — has not increased at all. Besides, the number of marginal land holdings has multiplied $1^{1/2}$ times faster than the growth in population. Sir, the burden of feeding a growing population lies on agriculture. Agriculture produces two things —

(1) grain and (2) raw materials. Sir, with the usage of grain we live ourlives. No factory in the world, howsoever sophisticated it is, can produce a piece of grain. They can produce atom bombs, aeroplanes, railway wagons, but they can hardly produce a grain which only the farmer can produce by tearing the bosom of earth under difficult conditions. With the availability of raw materials the wheels of industry run. Though agriculture is the lynchpin of the Indian economy, we did not have an agricultural policy during the four decades. Sir, all that we had were only the temporary measures taken by the Government as a matter of crisis management or just to have political gains. In the absence of agricultural policy, the adoption of land ceilings was not completed and absenter landlords still flourish on the lands.

As regards the electricity supply, more than 70 per cent people living in the villages get hardly 20 to 30 per cent electricity that is generated whereas 30 to 40 per cent people living in the cities get about 70 per cent of a electricity. Sir, this is a clear violation of the Directive Prin ciples of the Constitution of India since the Constitution provides: "There shall be an equitable distribution of the sources of society among the people of the country". As such, due to lack of electricity supply, farmers are unable to exploit the land potential. Above all, the recent increase in power tariff from 14 paise to 50 paise again proves how the Government is planning to push forward its reforms. It is a shocking thing. This increase in power tariff will adversely affect the backward regions of the country, specially Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and U.P. which account for 43 per cent of the rural population.

As a matter of fact, there are so many lacunae and missing links in the thinking of the Government, e.g. agricultural credit. Agricultural credit is another highly significant input for increasing crop production. Recently, the recommendations of the Narasimhan Committee on the financial system are going to free the commercial banks gradually from priority sector lending which basically means agriculture and its allied activities. That will drastically reduce the availability of agricultural credit. The Dunkel draft proposals are further casting an evil shadow on Indian agriculture. The sec tion on agriculture in the draft proposals is divided into three or four major areas, market access, domestic support export competition and sanitary and phyto-sanitary measures. As regards market access, the Dunkel proposals prescribe that the member-countries should get aid of all the restrictions on the amount of agricultural commodities that can be imported or exported. Further the proposals prescribe that the quantitative restrictions have to be replaced first by import duties which need to be reduced by 24% by the year 2003 A.D. Further the Dunkel proposals prescribe that the member-countries should import either at the level at which they were importing during the years 1986-88 or at a level of 2% of the domestic consumption whichever is high. Further, Sir, you will realise that this curb alone will take away the discretion of the country to decide whether it needs to export or it needs to import any agricultural commodity. The chief imports from other coutitries will flood the indian markets which will damage the Indian agriculture. Moreover, the country will lose precious foregin exchange because under the pressures of the proposals the country will have to import, possibly, those items or those commodities which it may not be needed as-much. That is going to disturb our production plan in agriculture and our priorities. Unrestricted exports of agricultural commodities will, therefore, result in changing the priority of agriculture. It is done to meet the international needs and not to meet the internal needs. This will make the foodgrain prices in the domestic market unaffordable for the people of India.

As regards the domestic support, the Dunkel Proposals want the member-countries to reduce the domestic support to agricultural products by 13.33% from 1993 till 2003 AD. The Dunkel Proposals prescribe that the support should be calculated by comparing the internal support price with the average international price in 1986-1988 and thus arrive at an aggregate measurement support. They call it "aggregate measurement support". If the aggregate measurement support is more than 10% — that is the prescription by the proposals — then the Government has to reduce it. The basic question is: Why should the policy of domestic support, which is surely an internal matter of a country, an internal matter of a government, be subjected to international discipline?

Sir, the issue of providing subsidies to different crops and different sectors should be decided on the basis of the basis of priorities and on the basis of needs, on the stage of development that a particular society or country has reached. This freedom will be lost if we accept the Dunkel proposals.

As regards public distribution system, the Dunkel proposals prescribe that the Government should make the food purchases for mainlaining the PDS only at the market prices. I emphasise the words "only at the market prices". In that case, the proposals of the high-powered committee for the intervention of the market by way of a parity of price would become impossible, if the Dunkel Proposals are so accepted. The food subsidies have already been slashed. Everybody knows that. At the same time the price of cereals has increased by 23%.

Sir, the shortfall in the procurement target in 1991-92 was as large as 5 million tonnes. As a result of the shortage the Government was forced to import not less then 5 million tonnes of foodgrains. That is what the Dunkel Proposals actually mean. The main philosophy behind it, behind the Proposals is that the Government should continue to import, create those conditions in a particular country, in a developing country, so that they are bound to import foodgrains.

As regards the export performance, the Dunkel Proposals insist that the export subsidies shall be reduced in budgetary outlays by 36 per cent and 24 per cent respectively from the year 1993 to 2003. AD. The developing countries have to make two-thirds of the reduction proposed above. This will definitely adversely affect the exports of India.

As far as sanitary and phytosanitary measures are concerned, this is used as non-lariff barrier against imports especially from developing countries. It had already happened in the export of black pepper from India. At the same time the multinational corporations want the seed importing countries to reduce their quarantine requirements on introduced seeds and plant materials. Further it is very interesting to note that another issue of great concern to agriculture in the developing countries is the move to bring agriculture under the Intellectual Property Rights regime. Under the TRIPS, the clause cover the granting of product and process patent to all bio-technological innovations including micro-organisms and all non-biological and micro-biological processes for the production of plants and animals.

It means that all plant and animal varieties developed outside in purely natural surroundings can be patented. Luckily, India has not so far recognised any form of intellectual property in plants since both these forms of Intellectual Property Rights are going to be disastrous for agriculture economy. There is an urgent need to strengthen the capabilities of our research system. But with a cut in allocation of 35 per cent in Ihe budget allocations, it is surprising how the ICAR will be able to carry out its plans during the Eighth Plan Period for modernisation to achieve agricultural research developments.

Further, the Indian scientists and technologists assert that if the Dunkel Proposals are accepted, it would subvert all the important provisions of the Indian Patent Act, 1970 which has helped the economic development and industrial growth in India.

Some 25 years ago, Mr. A. T. Mosher in his Book 'Getting Agriculture Moving' published by the Agricultural Development Council, New York said that agricultural development requires a few things like, creating and modifying policies based on the prescriptions of international financial institutions. Under various climates they should be able to provide seeds which are needed. Then transportation from village to village and from village to market. These are very important conditions that were prescribed. Sir, the Indian scientists and technologists should be given proper funds so that they can continue modernisation. We need another green revolution.

3.00 P.M.

There is no denying the fact. The fanner needs market for farm products. A constantly changing technology he needs. Then local availability of supplies and equipment, production incentives, all these he needs. We are not able to provide many of these requirements throughout the country. We find that only 30 per cent of the technology which is available has reached the farmers. The technology generation and transfer system has to be made more responsible to the needs of the farmers. Creating and modifying policies based on the prescriptions of the international financial institutions in the name of structural adjustment and liberalisation or free play of market forces will be very disastrous in the long run. Sir, the budget deficit may come down. But it should not be at the cost of agricultural and rural development. Development ultimately is not a matter of GNP or money or physical capital or foreign exchange, but of the capacity of the society to tap the roots of popular creativity and to free up and empower the people to exercise

their intelligence and Ihe individual and collective efforts to achieve a better life. Even at moderate levels of foodgrain consumption we will need 235 million tonnes of foodgrains by the year 2000 AD. As indicated above the present agricultural system in India will come under increasing strain in the years to come. Hence, it is time that the scientists, extension agencies, farmers and politicians sit together and choose the way the country has to follow for its agricultural development. Sir, the problems of sustainability, self-reliance and development are, of course, there to be solved. However, there is also the question of protection of our sovereignty which the Government is under obligation to protect. Thank you.

The question was proposed.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) :माननीय उपसभाध्यक्ष, जी, इस सदन के माननीय सदस्य डा० नौनिहाल सिंह जी ने अपने आंकडों के जरिये ऐसा चित्र उपस्थित किया कि भारत के किसानों के जीवन में सुधार नहीं आया है और वर्ल्ड के अनेक देशों के किसानों से उनकी तुलना की गई । वास्तविकता यह है कि हमारा देश बड़ा पारम्परिक और ट्रेडिशनल देश है और उसका जो खेती करने का, कृषि करने का तौर तरीका था, वह पुरातन और बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा था । हमारे देश का किसान बहुत ही शांतिप्रिय है और किसानी के जो नये नये तरीके रिसर्च के आये हैं उनको आसानी से लेने के लिए तैयार नहीं था । लेकिन अगर आप गौर से देखें, इस वक्त जो हमारे देश का किसान है उनकी जिन्दगी में, उनकी आर्थिक स्थिति में, उनके रोजाना के जीवन में कितना फर्क आया है, इस बात से पता लगता है कि आज हमारा देश अन्न के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और 1 करोड़ 17 लाख टन से ज्यादा अनाज उसने इस वर्ष पैदा किया है जो पिछले से लगभग 40 लाख टन से ज्यादा पैदा किया है । आखिर यह कैसे हो गया ? आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार सदैव से किसानों से बहुत गहराई से जुड़ी रही है और यही नहीं अगर गौर से देखा जाय तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की नेहरू जी ने नींव रखी थी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव के पीछे किसानों के लिए नई टेक्नोलोजी से काम करने के तरीके भी थे । और मैकेनिक फार्मिंग को बढ़ाने का तरीका था । इस इंडस्ट्रिलाइजेशन में उनका यह भी पार्ट है । इससे पहले हमारे देश में हल से खेती होती थी । लेकिन यह टेक्नालाजी जो अपनी अपनायी है इसके कारण आज देश के अंदर एक नहीं सैकड़ों-हजारों की तादाद में ट्रेक्टर्स, ट्रालीज, सिंचाई के साधन, माल ढोने के आधुनिक तौर-तरीके है । लेकिन माननीय सदस्य, जिनका यह रेजोल्यूशन है उन्होंने बहुत सारे प्वाईंट अपने ही रेजोल्यूशन के छोड़ दिये हैं । उन लोगों को मिडिल मैन तंग करते है उन्होंने इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला । लेकिन मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं । इससे पहले किसानों का मंडियों में बिचौलियों के जरिये उसकी पैदावार का मनमाने ढंग से मोल-भाव होता था । लेकिन आज सरकार बाकायदा सालाना अनाज के भाव, चावल के भाव और दूसरी चीजों के भाव घोषित कर देती है । अगर मार्केट में कोई खरीददार नहीं होता तो सरकार उसकी बड़े पैमाने पर खरीदारी करती है । बल्कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक बार यह हुआ कि वर्षा से अनाज बिल्कुल सड़ गया और किसान बरबाद हो गये । वह अनाज ह्यूमन कंजप्शन, इंसानों के खाने लायक ही नहीं रहा बल्कि जानवरों को खिलाने के लिये भी मनाही कर दी । उससे किसान को भारी क्षति और नुकसान हुआ । लेकिन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने सोचा कि किसानों का यह सड़ा हुआ अनाज खराब हो गया है और अगर उसको फसल के पैसे नहीं मिलेंगे तो आर्थिक तौर पर उसको चोट पहुंचेगी, उसकी कमर टूट जायेगी । इसलिये सरकार ने उस खराब अनाज को खरीदकर उसको ऐसे कामों में इस्तेमाल किया-जानवरों को न खिलाकर उसका उपयोग खाद बनाने के लिये किया और उस खाद को खेतों में डालकर अन्न उपजाने के काम में उसका इस्तेमाल किया । आप कहते हैं कि सरकार ने किसानों के लिये कोई काम नहीं किया । लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, जैसा मैंने कहा, किसान की खेती का जो पहले हिस्सा था आज वह उससे तीन गुना ज्यादा हो गया है और उसी के अनुसार इसका काम बढ़ गया है । सिंचाई के साधन बढ़े हैं । आजादी के पहले की बात मैं नहीं कहता हूं लेकिन पिछले दस वर्षों के अगर आप आंकड़े देखें तो हजार गुना इस बात में तरक्की हुई है । इर्रीगेशन के साधन बढ़े हैं, नहरें बढ़ी हैं, ट्यूबवेल बढ़े हैं, दूसरे तरीके की सिंचाई के साधन जो अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे लिफ्ट योजना है, पंप सेट हैं, इन सब साधनों ने किसानों को सही मायने में बहुत हद तक सेल्फ-एफिसियेंट कर दिया । इस तरीके से आज बड़े पैमाने पर खेती बर्डनसम नहीं रही है । आप जानते हैं कि किसी जमाने में किसान फसल उगाने के बाद भी रोता था । तो जैसा मैंने कहा उन्होंने बिचौलियों की बात नहीं कही । हमारी नयी मंडियां बन गयी हैं । मंडियों में किसानों के लिये बैठने के लिये आराम है, उसकी चीजों को भाव करने का तरीका बदल गया है, मंडियों में आलू साफ करके उनको बोरों में भरा जाता है फिर उनको तोला जाता है । एक जमाना था जब उनको वैसे ही भरते चले गये, मंडी में पांच किलो का बाट धर्मकांटे के नाम पर होता था और फिर तोल से उसकी लुटायी होती थी । लेकिन अब किसानों के जीवन को सुधारने के लिये सरकार द्वारा रिसर्च वर्क किया जा रहा है कि कैसे अनाज के उत्पादन को सुधारा जाय, कैसे ज्यादा फल और ज्यादा ग्रेन पैदा हो, उसकी नस्ल कैसे अच्छी हो और कैसे पौधे से ज्यादा से ज्यादा अन्न निकले और उस पर बीमारी न लगे । अब हर क्षेत्र में किसानों को कम से कम तकलीफ हो रही है । उसकी फसल सुरक्षित है । हमारे इस हाउस में बराबर इस पर चर्चा होती रहती है । आज भी हमारे सदन में यह चर्चा थी । यह सब किसलिये हो रहा है ? ताकि हमारे किसान की जिंदगी खुशहाल हो । अगर हमारे किसान की जिंदगी खुशहाल नहीं होगी तो हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है । इसलिये देश को खुशहाल करने के लिये किसानों की खेती को उन्नत बनाने के

लिये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाये गये हैं । आज बड़े-बड़े फार्मों में, लैबोरेटोरीज में, किसानों से ताल्लुक रखने वाली चीजों पर रिसर्च हो रही है और उसके लिये साइंटिस्ट रखे जा रहे हैं । उनको विदेशों में भेजा जाता है और सैकड़ों की संख्या में हमारे साइंटिस्ट विदेशों में जाकर बड़े-बड़े काम करते हैं । जो टेक्नोलोजी वह लाते हैं, उसको अडाप्ट भी किया जाता है । यही नहीं आजकल तो हमारे देश में बहुत अच्छे-अच्छे निजी फार्म भी हैं चाहे किसी चीज़ के हों । आज आप देखें जो किसान पहले सिर्फ खेती पर निर्भर करता था आज उसी किसान के पास अलाइड काम-धंधे हो गये है जैसे पोल्टरी है, दूध उत्पादन का काम है । यह काम किसान पहले कहां करता था ? आज उसको नयी टेक्नोलोजी मिली है, उसको नयी फाइनेंशियल ऐड मिली है, उसको नयी एक्सपर्टीज़ मिली है । हमारी सरकार द्वारा उसको हर तरह से हेल्प दी जाती है । उसको नये-नये तरीके सिखाए जाते हैं । उसने फिशिंग शुरू कर दी है । पोल्टरी शुरू की है । उसने घी, मक्खन और डेरी का काम शुरू किया है । इस सरकार की योजना, फाइनेंशियल ऐड और एक्सपर्टीज़ का नतीजा यह है कि हमारे देश का किसान आज आधुनिक किसान होता चला जा रहा है । वह दिन दूर नहीं जब हमारा किसान आर्थिक तौर पर पिछड़ा नहीं होगा, टेक्नोलोजी में पिछड़ा नहीं होगा और व्यापार में कमजोर नहीं होगा । आज हमारे देश की बहुत सारी चीजें बाहर जा रही हैं । हमारे देश में पैदा होने वाली ऊन का बहुत बड़ा हिस्सा आज बाहर जा रहा है । इस ऊन को किसान पैदा करता है । भेड़ पालने वाले किसान को पहले जिस समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था, नीच समझा जाता था, आज वह किसान भेड़ पाल कर, ऊन उतार कर व्यापार करता है । इस प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति का सुधार करने के लिए खेती ही नहीं बल्कि खेती से संबंधित जो दूसरे रोज़गार हैं, वह भी उसने आरंभ किये हैं । जो यह कहते हैं कि किसान को तकलीफ है, कष्ट है, इस कष्ट को दूर करने के लिए सरकार ने बराबर अपनी योजनाओं के ज़रिये, प्लानिंग के ज़रिये जो तौर-तरीके अपनाए हैं, उनके ज़रिये किसान की जिन्दगी बेहतर हुई है । इसका नतीजा यह है कि जिस तरह का पहले का जीवन किसान का होता था, आज वह जीवन दिखाई नहीं पड़ता है । पहले दूरदराज़ के गांवों में ऐसे गांव थे जहां पर लोगों के शरीर पर कपड़ा भी नहीं होता था और अजीब-अजीब तरह का उनको खाना खाना पड़ता था । आज आप देखें, उनकी जिन्दगी में बदलाव आया है । यह जो किसान की जिन्दगी में सचमुच में बदलाव आया है यह इसलिए आया है कि आप हमारी प्लानिंग को देखें, हमारे बजट को देखें, बजट का आंकलन करें तो आपको यह पता चलेगा कि बजट का 70 फीसदी हिस्सा किसान से ताल्लुक रखने वाली मदों पर खर्च होता है । 70 फीसदी रुपया घूम फिर कर किसान पर खर्च होता है । पहले जहां गांव में बिजली देखने को नहीं मिलती थी । सास बहु मिल कर कुट्टी काटते थे । पशुओं के लिए हमारे यहां रात भर कुट्टी काटते रहते थे । अगर मेहमान भी आ गया तो वह भी कुट्टी काटने के काम में लग जाता था । आज गांवों में बिजली के आने के कारण बिजली द्वारा किसान कुट्टी काट लेता है । पाइप खोल कर पशुओं को नहला देता है । आज का किसान आधुनिक किसान बन गया है । क्या कभी आपने सोचा है ? हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने किसान के पहले की जिन्दगी को नहीं देखा है । इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेम चन्द जी द्वारा लिखित "गोदान" अवश्य पढ़ लें जिसमें उन्होंने गांव के किसान "होरी" का बड़ा सजीव चित्रण किया है । उस ज़माने के किसान की सचमुच तस्वीर खींची है । आप जानते हैं पहले जमाने में कैसे कारिंदे आते थे घोड़े पर चढ़ कर घी मांगते थे । अगर घी नहीं मिला तो किसान को हंटर मारते थे, चाबुक मारते थे और किसान का शोषण होता था । आज कांग्रेस सरकार की योजनाओं के फलस्वरूप, नयी-नयी स्कीमों के परिणामस्वरूप किसान को शोषण मुक्त कर दिया गया है और किसान प्रगति के पथ पर चल पड़ा है । उसको सहारे की जरूरत है । आज बिचौलियों को खत्म कर दिया गया है । किसानों के माल को मंडियों में लूटा नहीं जाता है । जो आधुनिक मंडियां बनाई गई हैं वहां पर पीने के पानी का प्रबंध है, छाया है, स्टाल बने हुए हैं । मंडियों के अन्दर सरकारी नुमाइंदों के इलावा किसानों के नुमाइंदे भी हैं । आज उसके उत्पादन को कोई लूट नहीं सकता है । उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है । आज जो लोग यह कहते हैं कि किसान की जिन्दगी में फर्क नहीं आया है मुसीबत है, मैं समझता हूं मुसीबत तो जिन्दगी में रहेगी लेकिन यदि सभी नीतियों का सचमुच पालन हो तो उसकी तकलीफों को कम किया जा सकता है । आज पशुओं को बचाने के लिए हमारे देहात के अन्दर डाक्टर, दवा, गोलियां और इंजेक्शन उपलब्ध हैं । पहले बहुत बड़ी तादाद में पशु मर जाते थे । आज किसान जागरूक है । डॉक्टर उनके घर पर जाता है । इनजेक्शन लगाता है, पशुओं को बचाता है, रोग-मुक्त करता है । दूध की आमदनी बढ़ा कर उसका पालन-पोषण अच्छा होता है । यह सब इसलिए हुआ कि किसान से जो सरकार का ताल्लुक है उसको अच्छा बनाने का, सचमुच यह सरकार की नीति किसान की जिंदगी को अच्छा करने पर लगी हुई है और उसका नतीजा बहुत साफ आ रहा है । जो निराशा का चित्र खींचते हैं, जो निराशावादी हैं, वह यह नहीं देखते ।

हमने 1929, 1930 में सब देखा है कि किसानों का क्या हाल होता था । आज सब मालूम पड़ता है, इसीलिए तो मैं कहता हूं ।

दूसरी बात, जो उन्होंने इसी रेज़ोल्यूशन के अंदर रखी कि सूखे से और बाढ़ से जो किसानों की हालत खराब हुई है, इस सदन में इन दोनों मुद्दों को लेकर भारी डिटेल में बहस हुई है । सभी हमारे साथियों ने बड़ी तफसील के साथ सारी चीजें रखी हैं । सरकार किस मौके पर, किस संकट के वक्त में किसानों की मदद के लिए नहीं आई है । जिस स्टेट ने जितना रुपया मांगा, थोड़ा बहुत कम करके रुपया दिया है, वक्त पर दिया है, काम में लगाया है । बल्कि मैं यह कहता हूं, अगर आप नाराज न हों, तो बहुत सारी स्टेट्स यह समझती हैं कि यह रुपया जो आ रहा है, वह सुपरफ्लुअस रुपया है । फ्लड के नाम पर दिखा कर बहुत सारा रुपया मांग लो और उसे सचमुच राहत काम में

खर्च न करो, जो अपने रोज़ाना के काम आने वाली चीजें हैं, उन पर तो वह खर्च कर लेते हैं। और फ्लड्स और सूखे से जो किसानों को राहत देकर, प्रमाण लेकर काम किये जाते हैं, वह भी नहीं करते। उसका बहुत सारा रुपया इधर-उधर खर्च कर देते हैं। जो सरकार बहुत सीरियस नहीं होती है इन कामों के लिए, वे ऐसा करती हैं।

तो ऐसे मौके पर हमको याद रखना चाहिए कि जिस किसान के लिए उसको रुपया मिला है, वह उसी मद पर खर्च होना चाहिए। फ्लड्स और सूखे का रुपया ज्यादातर उसी के काम पर खर्च होना चाहिए। जो बहुत सी स्टेट्स उसको बचा करके आखिर में दूसरे मदों पर खर्च कर लेती हैं और उसका पूरा खर्चा-ब्यौरा दिखा करके अपनी कारगुजारी पूरी कर लेती हैं, यह इजाज़त नहीं देनी चाहिए।

आप देखिये कि जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली बहुत सी स्टेट्स से सूखे और बाढ़ की रिपोर्ट पहले मांगी जाती है, पर महीनों तक उनकी रिपोर्ट ही नहीं आती है। बहुत बार जायज़ा ही नहीं आता, उनकी मीटिंग ही नहीं हो पाती। राहत के लिए जब आपको मालूम है कि यहां यह चीज़ आनी है, तो उनको बड़ी तेजी से सब चीजें इकट्ठी करके अपना राहत का काम तो करना चाहिए।

तो जैसे मैं कह रहा था कि इस देश में जो फार्मर्ज़ हैं और उनके साथ जो वर्कर्ज़ काम करने वाले खेतिहर मजदूर हैं उनके लिए भी सरकार, मैं समझता हूं, इसी सेशन में एक बिल भी लाने वाली है।

अब किसानों के वैलफेयर फंड का भी रुपया है। उसमें सरकार बहुत बड़ी तादाद में रुपया खुद दे रही है और किसान, जो बड़े लैंड-होल्डर हैं, वह तो दे ही नहीं रहे हैं, बल्कि छोटे किसान तो वैलफेयर फंड के लिए दे रहे हैं।

आज जगह-जगह, बहुत जगह किसानों के आराम के लिए गेस्ट हाउस बनाये गये हैं। तो जो यह समझते हैं कि किसानों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, वह ठीक नहीं है।

मैंने चंद अल्फाज़ के अंदर ही कहा है कि कांग्रेस सरकार जब भी रही है, वह कभी किसान को अपने प्रोग्राम से, अपनी नजर से, अपने कार्यक्रम से कभी ओझल नहीं कर पाई और यह उसी की देन है कि आज हमारे देश का किसान जापान और स्वीडन, किसी के सामने पिछड़ा हुआ नहीं है। प्रगति के कदम उसके घर में पहुंच गये हैं और वह दिन दूर नहीं जब वह दूसरे देशों के मुकाबले में किसानों के बराबर होगा और किसान ने इस मुल्क को अन्न के मामले में अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। किसान ने इस मुल्क को मजबूत बना दिया, यह किसानों के लिए धन्यवाद का एक बहुत अच्छा मौका है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) Shri Brahmadeo Anand Paswan.

AN HON. MEMBER : Maiden speech.

श्री ब्रह्म देव आनंद पासवान (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्षजी, इस संसद कक्ष में उपस्थित हमारे तमाम जनसेवक, जननायक, शासन सत्ता के निर्देशक सांसदगण, आज हमारे मान्य किसानों के दोस्त बहुत ही प्रखर, अनुभवी सांसद श्री निहाल सिंह जी ने जो विषय रखा है, संकल्प लिया है, यह देश के सामने कृषकों की समस्यायें, देश के सामने यह बाढ़ और सुखाड़ ...... जिस पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है। आज इस देश के अहम सवाल बने हुए हैं कि दुनिया में और भारत में, दोनों में तुलना करने पर यह पता चलता है कि दुनिया में सब से ज्यादा अगर कृषकों की हालत दयनीय हुई है तो उसका नाम भारत है। आज गांवों में जाकर कोई देखें कि जहां पर महल थे किसान के, वे मिट्टी के मकान नज़र आते हैं और जहां मिट्टी के मकान थे वहां झोंपड़े नज़र आते हैं। यह गांवों की हालत है। जहां तक धरती का सवाल है, कृषि और किसान एक बहुत ही व्यापक शब्द है। वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों या संयासियों ने जो कहा है कि "घर धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा"। जो शरीर की कल्पना है, जो प्रकृति ने शरीर की रचना की है, ठीक, उसी तरह से बाहर धरती की रचना है। शरीर में तीन हिस्से पानी है और एक हिस्सा मिट्टी है। ठीक, प्रकृति का भी तीन हिस्सा पानी है और एक हिस्सा मिट्टी है। जिस पर हम अपनी मेहनत की बुनियाद रख करके अपना जीवन-यापन करते हैं। उसी धरती से पैदा होते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। ठीक जिस तरह से यह शरीर का पांच तत्व से निर्माण किया गया है, यह मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि और आकाश। आप तुलना करें। ये पांचों चीज़े अपने आप में एक-दूसरे का दुश्मन हैं। पानी का काम है मिट्टी को घोल देना, आग का काम है पानी को खौला कर आकाश में उड़ा देना, हवा का काम है उसको उड़ा कर ले भागना और आकाश का काम उसे सोख लेना है। बचता है, जीरो, लेकिन यह प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि उस जीरो को बना कर रखता है हीरो। हम बोलते हैं, चलते हैं, सारे काम करते हैं। ठीक, यह धरती है। आज जो बाढ़ आई है, जो विपदा आई है, पूरे देश में हा-हा कार मचा हुआ है। यह विपत्ति से बचने के लिए आज 43 वर्षों से जो हमारा देश आजाद है। आजाद हुआ देश, आजादी हमें मिली नहीं, कली है पेड़ में, मगर अभी खिली नहीं। ज्यों-ज्यों किसान खिलना चाहता है, उसे तोड़ दिया जाता है। आज जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद की लड़ाई है, लेकिन जिस दिन किसानवाद की लड़ाई होगी, सारी बात समाप्त हो जाएगी। वहां न कोई भाषा है, वहां न कोई जाति है, न वहां कोई धर्म है। वहां सिर्फ एक ही तरह की खेती की बात होती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माफ करेंगे, मैं सांसदों जी से कहना चाह रहा हूं कि महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि कृषि पर आधारित, श्रम पर आधारित उद्योग-धंधे गांवों में लगाए जायेंगे तभी भारत का विकास होगा। ठीक 1955 में जवाहर लाल नेहरू जी ने इसके उल्टा किया। पूंजी पर आधारित बड़े-बड़े उद्योग धंधे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ला करके, देश में कृषि पर

आधारित कोई काम नहीं कर सके, जिसके कारण आज कृषकों की यह हालत है। देश में बड़ी-बड़ी जो योजनाएं बन रही हैं, ये योजनाएं दिल्ली की अट्टालिकाओं में, यह वातानुकूलित भवनों में बन रही हैं। उनको पता नहीं है कि गांवों की हमारी जो बहनें हैं, वे गोबर, गोइठा, इमारा, पत्ते, छोटी-छोटी लकड़ियों से ही भोजन बना करके अपना जीवन बिता रही हैं। जो आज गैस के चूल्हे पर तैयार खाना खा रहे हैं बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं में हैं और ये उनके सपने को साकार करने चले हैं।

उनको पता भी नहीं कि कितने-कितने तरह के अन्न होते हैं उनको पता नहीं कि कौनी होते हैं, मडुए होते हैं, चीना भी होते हैं। ऐसे ऐसे अन्न होते हैं। तो सरकार 43 वर्षों से किसानों के साथ ठीक उसी तरह से व्यवहार कर रही है जिस तरह से कि बच्चे जब भूख से तड़पते हैं तो माँ उस बच्चे को "होरू नूनू" कहकर फुसला देती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने एक गीत बनाया था जिसमें कहा था कि—

हुरू नूनू हुरू नूनू हुरू नूनू रे।
हुरू नूनू रे बौआ हुरू नूनू रे।
मैया गेली धान काटे बप्पा करो काम।
सूत रे बौआ पंकड़िया के छांव।
मूखल गुनू रे।
हुरू नूनू हुरू नूनू हुरू नूनू रे।

तो आज किसानों की यह हालत है। हमें दुख है कि "किसान" शब्द को इस ढंग से व्यापक बना दिया गया है कि जो असली किसान था उसे किसान न कहकर मजदूर कह दिया गया और जो किसान नहीं है जो जमींदार है, उन्हें किसान कहा गया, दुर्भाग्य इस देश का यही है। दुर्भाग्य है कि जो मेहनतकश किसान है, जो खेतों में हल चलाता है, जो खेतों में चौकी देता है, जो खेतों में बाउग करता है, उसमें पानी पटाता है, उसके लिए निकोनी-कैरोनी करता है, उसको काटता है, उसको खलिहान में ले आता है, उसको दमाही करता है, उसकी ओसौनी करता है, बोरों में कसता है और उसे जमींदार के यहां पहुंचा देता है, लेकिन जब वह घर आता है तो उसके घर में चुल्हे पर केवल खौलता हुआ पानी मिलता है, अनाज नहीं मिलता है। यह किसान की हालत है। जो किसानी करते हैं उसके पास एक धूर जमीन भी नहीं है और वह जमींदार जो दो सौ बीघा, चार सौ बीघा का मालिक है, वह छाता लगाकर, धोती पहनकर, जूता-चप्पल पहनकर केवल यह देखने जाता है कि आज हमारे यहां कितना गल्ला आया है और वह आदमी जिसने कि अनाज पैदा किया, जिसकी कर्मठता से, जिसकी मेहनत की बुनियाद पर गल्ला पहुंच रहा है, वह गल्ला जिसे खरीदकर बिचौलिए लखपति और करोड़पति बन रहे हैं, जो असली किसान है जिसे कि मजदूर कहकर पुकारा जाता है, उसके घर में चुल्हे पर केवल खौलता हुआ पानी मिलता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझसे पूछा जाय कि आप भगवान को मानोगे या किसान को तो मैं पहले कहूंगा कि किसान को मानूंगा। भगवान को तो देखा नहीं है, किसान तो सामने है जोकि मुझे खिलाकर जिंदा रख रहा है। अन्न से ही आनन्द होता है और अन्न ही अनन्त है, जिस दिन अन्न का अन्त हो जाएगा, उस दिन अनन्त समाप्त हो जाएगा और मेरा नाम ब्रम्हदेव आनन्द है। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस किसान शब्द को जो मजदूर है जो असली किसान है उनके साथ जोड़ा जाये और ज्यादा जमीन वालों को जमींदार शब्द से पुकारा जाय। दूसरी बात, यह कि आज जो यहां की सरकारें हैं, जो सरकारें दिल्ली के तख्त पर आसीन रहती है और जो रेट तय करती है कि किसानों की मेहनत से उपजाए हुई फसल होगी उसकी कीमत इतने रुपए क्विंटल होगी। सरकार को क्या पता है कि मैंने फसल में कितनी खाद लगाई है, कितनी मेहनत की है, कैसे पानी पटाई है, कैसे उपजाई है? उसकी कीमत तो मैं ही जानता हूं। आज कंपनियों में उत्पादित चीज की कीमत लगाने वाला कंपनी का मालिक है, वह लगाता है कि मेरी दिया सलाई, साबुन, सोडा की कीमत यह होगी, लेकिन किसान बेचारा अपनी मेहनत से कमाई हुई फसल का दाम नहीं लगा सकता है। उसकी भाग्य-निर्माता तो यहां की सरकार है। जिस दिन यह तय हो जाए कि पूरे भारत के किसान, जो फसल पैदा करते हैं, एक ग्रामीण योजना के तहत बैठकर यह तय करेंगे कि इस साल की फसल की कीमत कितनी होगी, उस दिन किसान की हालत अच्छी हो जाएगी। मैं सरकार से कहता हूं कि जिस दिन यह हो जाएगा उस दिन यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा और किसान तन, मन, धन और वचन से अपनी खेती में लग जाएंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज गांव उजड़ते जा रहे हैं, शहर बसते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसानों की दुर्दशा देखकर लोग अपने गांव को छोड़ना चाहते हैं। पहले कहा जाता था कि उत्तम खेती और अब उत्तम नौकरी कहा जाता है। लोग खेत को बेचकर के, मकान को बेचकर के नौकरी में आना चाहते हैं और फिर नौकरी से पैसा लेकर के उसी चीज को फिर खरीदते हैं महंगा दामों में। कभी यहां बाढ़ है, कभी सुखाढ़ है। उपसभाध्यक्ष महोदय जी, मैं बिहार से आता हूं। मेरे यहां उत्तरी बिहार में बाढ़ है और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ और पहाड़ है, यही मेरा बिहार है। बिहार में जो संपत्तियां हैं, वह धरती के नीचे हैं। धरती के ऊपर वन है और वन के ऊपर पर्यावरण है। नीचे धरती में करोड़ों रुपए की संपदा छिपी हुई है, उसे निकाल नहीं सकते हैं। वहां के किसान की जमीन में करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन वह अपनी चीज को निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि जमीन के नीचे की संपत्ति भारत सरकार की है और जमीन के ऊपर की संपत्ति राज्य सरकार की है। वहां उद्योग-धंधे नहीं हो सकते, वहां की जमीन ऐसी है और जो शासन में बैठे पदाधिकारी हैं वह उस चीज को निकालकर ब्लैकमेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं और सरकार की रायल्टी खतम कर रहे हैं। ..(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, किसानों में जो शक्ति है, जो

धनशक्ति है, जो शारीरिक शक्ति है, जो श्रम शक्ति है, उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आज देश के अंदर नेशनलाइजेशन, आटो-मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन, मोडर्नाइजेशन और कम्प्युटराइजेशन हो रहा है। सवाल यह है कि किसानों के लिए क्या हो रहा है? किसान, जो मेहनतकश मजदूर हैं, जिनके बेटे हैं, बेटियां हैं, जो पैदा करते है अन्न, उनके लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए कौनसा काम किया जा रहा है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं।

आप उनके लिए सोचिए, जिनके लिए महात्मा गांधी कहते थे कि भारत किसानों का देश है, किसान ही इसकी मर्यादा है, किसान ही इसकी संस्कृति है, किसान ही इसकी संपत्ति है। आज तो किसानों की दुर्गति है। आज सहकारी समितियां बनाकर हरित क्रांति लाने की बात की जा रही थी पूरे भारत में। यह हरित क्रांति कहां चली गई? सारे पैसे कहां चले गए? जब तक किसानों के विकास के लिए कोई स्थायी आयोग नहीं बनेंगे और कृषि नीति में क्रांति लाने के लिए दुगुने जोश से, साहस करके दृढ़ता और विश्वास के साथ कोई योजना नहीं बनाई जाएगी, किसानों को तकनीकी आधार पर प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, बुनियादी चीजें उसको नहीं दिलाई जाएंगी तब तक किसानों की हालत यही रहेगी। आज कृषि वैज्ञानिक संस्थानों को, नौकरशाहों को लालफीताशाही के चंगुल से मुक्त करके पुनर्जीवित किया जाए। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि राष्ट्रीय जल निकासी निगम हो, चाहे जो भी योजना बने, आज मैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करना चाह रहा हूं। कृषि मंत्री जी ने आज सारे विश्वविद्यालयों को पैसे दिए हैं लेकिन जहां पैसे देने हैं तथा जो आदिवासी क्षेत्र में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची है, वहां एक भी पैसा नहीं दिया गया है। उस आदिवासी क्षेत्र में क्या होगा, जहां के लिए सारे लोग चिंतित हैं। देश में जो योजनाएं हैं—जैसे, गांवों में तटबंध बनने चाहिए, ड्रेनेज बनने चाहिए, भूमि की संरक्षण होनी चाहिए, बोरिंग होनी चाहिए, डैम और नाला-नाली बनने चाहिए और गांवों में चरवाहा विद्यालय रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण जब तक नहीं दिया जाएगा तो किसानों की हालत ठीक नहीं होगी। जमीन बढ़ नहीं सकती। जमीन उतनी है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। यह उतनी है और उतनी ही रहेगी तथा हमें उतने में ही खाना है और उतने में ही हालत अच्छी करनी है। यह कैसे होगा? आप कहते हैं कि विज्ञान बहुत बढ़ गया है? जहां पर खाद भी दिया जाता है। पहले दोगुनी, तीगुनी पैदावार होती थी जब अपने घर की खाद दी जाती थी। लेकिन आज एक साल बढ़िया पैदावार हो जाती है और दूसरे साल खराब हो जाती है। आज जो रासायनिक खादें हैं उससे भी जमीन की मिट्टी भी खराब हो रही है। आज मैं अंतिम वक्त यही कहना चाहता हूं कि :

"हमारा वतन है, हम वतन के,
भारत के फूल सभी, एक ही चमन के।
खेतों में किसान है, और सीमा पर जवान।
हम सब हैं, भारत के किसान।
देश को बढ़ाने में, काम होगा लगन से,
बहता है तो बहने दो। पसीना बदन से।

ऐसा किसान कह रहा है कि वह लगन से लगा हुआ है कि देश आगे बढ़ेगा और हम भी बढ़ेंगे।

देश को बढ़ाने में, काम होगा लगन से,
बहता है तो बहने दो, पसीना बदन से।
हम करते मुश्किलों को आसान।
हम सब हैं भारत के किसान।
इस धरती का सोना खेतों में चमके,
लहराती फसलें हरियाली बन के।
रुक-जाओ आंधी तुफान,
तुफान सुनो, हम हैं भारत के किसान।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के माननीय सदस्य डा० नौनिहाल सिंह जी जो प्रस्ताव लाए हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूं। वह प्रस्ताव तो जरूर लाए हैं मगर उस पर बहुत कम बोले हैं। क्योंकि जो प्रस्ताव है—"यह सभा बाढ़, भारी वर्षा और सूखे की स्थिति और साथ-साथ कृषि विकास में गिरावट के रुख, कृषि उत्पादों के व्यापार में संलग्न बिचौलियों, व्यापारियों, तथा थोक व्यापारियों द्वारा शोषण के कारण किसानों की दुर्दशा पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह ऐसी योजनाएं तैयार करे जिससे किसानों की, विशेषकर लघु और सीमान्त किसानों की धन कमाने की क्षमता में वृद्धि हो सके और शिक्षित ग्रामीण युवाओं को कृषि से सम्बन्धित व्यवसाय शुरू करने को प्रोत्साहित किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के स्तर में बढ़ोत्तरी हो सके।"

मैं समझता हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए हैं। मगर जब वह इस पर बोले तो एक साईंटिस्ट की हैसियत से बोले और हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार रखे। उसके साथ-साथ मेरे मित्र चौधरी हरि सिंह जी ने काफी ताईद की—हमारी मार्केट कमिटियों की, जो मंडियां बनी हैं तथा किसानों का जो माल इन मंडियों में जाता है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो काफी सहूलियतें तैयार की हैं उसकी भी उन्होंने काफी ताईद की है। इसमें दो राय नहीं कि पिछले 45 सालों में हमारे देश का कृषि उत्पादन बहुत बढ़ा है। 1951-52 में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी तो हमारी कृषि का उत्पादन 51 मिलियन टन था और आज इस साल, 1992-93 में हमारा कृषि उत्पादन 181 मिलियन टन तक चला गया है। तो तकरीबन चार टाइम ज्यादा कृषि उत्पादन होने जा रहा है, हुआ नहीं है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि हमारे देश के जो पूरे उत्पाद में कृषि का हिस्सा है, वह 1951-52 में जहां 60 परसेंट था अब वह 31 परसेंट पर आ गया है। तो एक तरफ हमारे कारखाने का उत्पादन बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है मगर उस हिसाब से नेशनल जी० डी० पी० में, जो हमारा पूरा राष्ट्रीय उत्पादन है, उसमें कृषि उत्पादन में कमी हुई है। तो इसकी क्या वजह है, इसके बारे में गंभीरता से हमें

सोचना चाहिए । जैसा कि डा० नौनिहाल सिंह जी ने कहा कि भारी वर्षा है तथा सूखा है । एक दिन इस सदन में भारी वर्षा के कारण जो बाढ़ आई और बाढ़ से जो जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, उसके बारे में चर्चा हुई । उसके बाद सूखे से पीड़ित लोगों की क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में भी इस सदन के अंदर चर्चा हुई । एक तरफ बाढ़ आती है और एक तरफ सूखा पड़ता है । मेरा ही प्रदेश ऐसा है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ आई और आठ जिलों में सूखा पड़ा । हमारे देश में प्रकृति की यह लहर है जो कहीं बाढ़ तथा कहीं सूखे से परेशान करती है । यह मनुष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है । इसका हल और इसका जवाब मनुष्य के पास है, उसके बावजूद भी हमने अभी तक उतनी कामयाबी हासिल नहीं की है । बाढ़ और सूखे से निबटने के लिए हमारे देश में दूर-दूर, कोसों दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए हमने क्या किया है, उसका जवाब उसमें खोजने की बहुत जरूरत महसूस करता हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन में जरूर वृद्धि हुई है मगर जैसा हमारे मित्र डा० नौनिहाल सिंह ने बताया, चाइना में चार सौ मिलियन टन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है । पिछले साल उनका चार सौ मिलियन टन का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ, जबकि उनकी कृषि हमारी खेती से 60 परसैंट ही उनके पास है और उनका जो पर-केपिटा प्रोडक्शन है, वह बहुत ज्यादा है । उनसे हमारी कृषि 130 टाइम ज्यादा होने के बावजूद भी हमारा उत्पादन 181 मिलियन टन रहा है जबकि चाइना का उत्पादन 400 मिलियन टन से बढ़ा है । अगर हम इन्टरनेशनल स्टैंडर्ड पर आ गए तो हमारे देश में पूरे अन्न-धान का उत्पादन पांच सौ मिलियन टन हो सकता है । अगर हम चाइना के स्तर पर आ जाएं, चाइना जो पर-केपिटा फूडग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है, तो हमारा प्रोडक्शन 760 मिलियन टन तक जा सकता है । अभी जो प्रश्न हुआ कि पर-केपिटा कंज़म्शन भी हमारे देश में कम है, ज्यादा कम नहीं है, मगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या जो डेवलपड या विकसित देश हैं, उनसे हमारे देश में पर-केपिटा कंज़म्शन कम है यह सच बात है । लेकिन हमारे देश में इतनी बड़ी क्षमता है कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हम अपने अन्न-धान का प्रोडक्शन बढ़ाएं या चाइना के स्तर पर ले तो उसमें चार सौ मिलियन टन फूडग्रेन प्रोडक्शन जो हमारा होगा, वह हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे पचास हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा हम जमा कर सकते हैं । इतनी क्षमता हमारे देश में है । फिर भी पता नहीं, नियोजन में कुछ गलती जरूर हुई है । मैं कांग्रेस सरकार का और कांग्रेस पार्टी का मेम्बर होते हुए भी, यह कहना अपना कर्तव्य समझता हूं कि आज तक हमने खेती पर जितना खर्चा किया है, वह कारखानों की तुलना में बहुत कम हुआ है । पिछले वर्ष, जैसा कि हमारे मित्र डा० मुरली मनोहर जोशी जी यहां नहीं है, सिकन्दर बख्त जी जानते होंगे, एक दफा प्रश्न उठा तो हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि गत वर्ष हमने 18 हजार करोड़ रुपया एग्रीकल्चर को फाइनेंस दिया और इस वक्त हम 19 हजार करोड़ बढ़ाने जा रहे हैं ।

इस वक्त हम 19 हजार करोड़ रुपए बढ़ाने जा रहे हैं । तब जोशी ने टोका कि 18 हजार करोड़ का प्रोविजन किया था मगर प्रत्यक्ष रूप में 13 हजार करोड़ मिला है । इसका मतलब यह है कि हमारी जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, जो लक्ष्य हमने रखा है, हमारी सरकार ने रखा है, उतना भी हम पूरा नहीं कर सकते । इसके लिए हमारी सरकार उतनी ही दोषी है ।

अभी हमने 19 हजार करोड़ का एग्रीकल्चर फाइनेंस का लक्ष्य रखा है जब कि कृषि पर 60 से 70 प्रतिशत लोग आधारित हैं । इंडस्ट्री के लिए हमने 80-90 हजार करोड़ का प्रोविजन रखा है जिस पर 30 प्रतिशत लोग निर्भर हैं । तो ये जो असंतुलन है, जब तक हम इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, जब तक हम बैठकर यह नहीं सोचेंगे कि जो हमारे 70 प्रतिशत किसान भाई, हमारे खेत मजदूर जो गांवों में रहते हैं, उनका विकास कैसे हो, तब तक हमारे देश की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है ।

मुझे इस बात का बड़ा गर्व है, फख्र है कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 4500 करोड़ रुपए की थी, वह अब 18000 करोड़ रुपए की बनने जा रही है । अगर उसका 60 प्रतिशत या 70 प्रतिशत पैसा कृषि पर खर्च किया जाता तो हमारे देश की तरक्की अमरीका से भी ज्यादा हो सकती थी । मगर यह नहीं हुआ है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह बहुत गंभीर समस्या है, इसके बारे में आप गंभीरता से सोचें ।

दूसरी बात जो उन्होंने कही है वह यह है कि इस देश में कहीं बाढ़ है और कहीं सूखा है । मैं 11 साल से इस सदन का सदस्य हूं । ऐसा एक भी साल नहीं गया बल्कि एक भी सत्र नहीं गया जब हमारे सदन में बाढ़ और सुखाड़ के बारे में कोई चर्चा न हुई हो । मेरे राज्य महाराष्ट्र में 104 तालुका हैं और 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो परमानेंट ड्राऊट प्रोन एरिया में आते हैं । उसके लिए हमने काफी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मगर इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को पैसा केन्द्रीय सरकार से नहीं मिलता । पावर के लिए पैसा मिलता है मगर जो पावर जनरेट होती है हमारे यहां 60 या 70 हजार मेगावाट, मैं बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि उसमें से किसानों को जो पावर सप्लाई होती है, उसका प्रतिशत कितना है ? इसके आंकड़े सामने रखिए । एक ओर जहां 70 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हैं, उनके आंकड़े हम देखें तो पाते हैं कि करीब 19-20 प्रतिशत पावर खेती में जाती है और 80 प्रतिशत पावर कारखानों में जाती है । यह स्थिति हमें बदलनी पड़ेगी । हमारी सरकार ने इस दिशा में काफी प्रयास किया है । मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ और मुझे उसका बहुत गर्व है । हमारा वसंत दादा पाटिल साहब मुख्यमंत्री थे । बाद में शरद पवार मुख्यमंत्री बने । दादा ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हुक्म दिया था कि कोई भी किसान अगर बिजली मांगता है अपना मोटर पंप बिठाने के लिए अपनी बावड़ी पर तो उसको 24 घंटे के अंदर कनेक्शन मिलना चाहिए । किसानों के बारे में जिसके मन में प्रेम होता है, दर्द होता है, वही आदमी यह कर सकता है । यह काम हमारे मुख्यमंत्री शरद पवार के नेतृत्व में चल रहा है और इसी कारण महाराष्ट्र हमारे देश में प्रथम दर्जे का औद्योगिक विकसित प्रदेश माना जाता है । हमारी

बहन शैलजा जी यहां बैठी हुई है । वे हरियाणा से हैं । हरियाणा ने काफी प्रगति की है, पंजाब ने भी काफी प्रगति की है ।

महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि महाराष्ट्र पूरे देश में प्रथम दर्जे का विकसित प्रदेश माना जाता है । पूरे देश में जितनी कपास पैदा होती है, उसका 40 प्रतिशत अकेले महाराष्ट्र में उत्पादन होता है । पूरे भारत में जितनी चीनी पैदा होती है, उसका 40 प्रतिशत भाग महाराष्ट्र पैदा करता है । सारे हिंदुस्तान में जितना ग्रेप्स का प्रोडक्शन होता है, उसका 80 प्रतिशत खाली महाराष्ट्र में पैदा होता है और वहां के किसानों ने सहकारी क्षेत्र में अंगूर से शराब तैयार करने के कारखाने लगाए हैं और जो शेम्पेन फ्रांस में तैयार होती है, आज हम खुद शेम्पेन बनाकर फ्रांस को एक्सपोर्ट करते हैं । अभी हमारे मित्र किसानों की बात कर रहे थे । हमारे मित्र ने कहा कि किसानों के पास बुद्धि कम होती है । हमारे एक मित्र बंबई में पढ़े हुए अर्थ शास्त्री थे । उनको ऐसा लगा कि अर्थशास्त्र पर भाषण देने के लिए गांवों में जाना चाहिए । इसलिए वह अपनी कार लेकर एक गांव की ओर चले । रास्ते में उनकी गाड़ी का पैट्रोल खत्म हो गया और अर्थशास्त्री ने काफी आंकड़े घुमाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला । इतने में एक बैलगाड़ी वाला किसान जो बाजार से अपना माल बेचकर लौट रहा था, उससे अर्थशास्त्री ने कहा कि मैं बंबई शहर में पढ़ा हूं, अर्थशास्त्री हूं, एयर-कंडीशन में रहता हूं, पैदल चल नहीं सकता । इस पर किसान ने कहा, चलिए बैलगाड़ी में बैठ जाइए, मगर दो घंटे लगेंगे । उसने सोचा कोई बात नहीं । बैलगाड़ी में बैठने के बाद उस इंटलेक्चुअल से रहा नहीं गया, वह कहने लगा मैं बोर हो गया हूं, इसलिए कुछ वार्तालाप करना चाहिए । किसान ने कहा मैं गंवार हूं, मैं क्या बात करूं । इस पर अर्थशास्त्री ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप उसका जवाब दे दोगे तो मैं सौ रुपए दूंगा । यदि नहीं दे सके तो तुम क्या दोगे ? किसान ने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं जवाब नहीं दे सका तो 10 रुपए दूंगा । अर्थशास्त्री ने कहा कि आप पहले सवाल पूछिए । तब किसान ने उससे पूछा कि कौन सा ऐसा पंछी है जो हवा में भी उड़ता है, जमीन पर भी चलता है और पानी में भी तैरता है । अर्थशास्त्री ने बहुत सोचा, लेकिन उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया । आखिर हारकर उसने किसान को सौ रुपए दे दिए । इसके बाद उसने किसान से कहा कि आप ही बता दो इसका क्या जवाब है, मेरे समझ में तो आया नहीं । इस पर किसान ने कहा कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है । इसलिए उसने अपनी हार के बदले में उसको 10 रुपए दे दिए । इस प्रकार उसने अर्थशास्त्री से सौ रुपए लेकर उसको 10 रुपए लौटा दिए । तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश का किसान बुद्धिमान है और जो हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं वे किसान की समस्याओं को समझते नहीं । चाहे इधर बैठे हुए लोग हों, हमारी पार्टी के हों या आपकी पार्टी के, मैं केवल आपको ही इल्ज़ाम नहीं देता, सारे लोग किसानों की समस्याओं को समझते नहीं । अगर 75 प्रतिशत किसानों पर खर्च किया जाए, उसके लिए बिजली पर, उसके लिए अंडरग्राउंड वाटर और इरिगेशन प्रोजेक्ट पर, ऐग्रो इंडस्ट्रीज पर लगाया जाए और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाए तो इस देश का विकास हो सकता है इसलिए जब तक आपकी सोच में बदल नहीं होगी, आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारे देश में कोई प्रगति होने वाली नहीं है । इसलिए मेरा माननीय कृषि मंत्री जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वे इस सोच को बदलें ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको दो और बाते मैं कहना चाहता हूं । इरिगेशन पोटेंशल हमारे देश में 113 मिलियन हेक्टेयर है । आपने 75 मिलियन हेक्टेयर का प्रबंध किया है लेकिन बाकी 40-50 मिलियन हेक्टेयर जो है उसके लिए आप क्यों देरी कर रहे हैं ? मैं तो कहता था कि ये योजनाएं केवल इरिगेशन के लिए बनाइए । वह केवल ऐग्रिकल्चर, पावर के लिए बनाइए । ऐग्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाइए । जब तक आप अपनी सोच में यह चेन्ज नहीं करेंगे तब तक यह काम होने वाला नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सारा इरिगेशन पोटेंशल टेकल करने के बाद भी 40 प्रतिशत खेती परमेनेंटली ड्राई फार्मिंग के अंदर रहने वाली है । उसमें गरीब लेंडलेस लेबर बैठी हुई है । जो बिहार की लेंडलेस लेबर की बात कर रहे थे हमारे मित्र, बिहार की बात ऐसी है कि विदेश से एक आदमी आया, उसको पानी चाहिए था, वह वाटर वाटर कहने लगा, वहां के लोगों की समझ में नहीं आया, वह बेचारा वाटर वाटर कहते हुए मर गया ।

उसने क्या कहा लोगों ने वाटर का मतलब नहीं समझा वे तड़प-तड़प कर मर गये । बिहार में इतना पानी है मैं कहना चाहता हूं अगर 25 फीट भी खुदाई करें तो दस मोटरें चल सकती हैं । कहा है :

> देश गयो, प्रदेश गयो, वाटर वाटर करके प्रान गयो
> खाट के नीचे पानी ।

ऐसी हालत है आपके बिहार के लोगों की ।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : आपको मालूम नहीं है बिहार के बारे में इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं । आपके मराठवाड़ा की जो हालत है वही हालत हमारे आधे बिहार की है । जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है उस बारे में मत बोलिए । अगर बोलना हो तो समझ कर बोलिए । (व्यवधान)

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : अगर मैं गलती पर हूं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं । लेकिन जहां तक मैंने देखा है गंगा बहती है, सारी नदियां बहती हैं । वाटर लेवल इतना ऊंचा है फिर भी सूखा पड़ा हुआ है यह ठीक बात नहीं है । आपकी जमीन बहुत अच्छी है, हमारे पास इतनी अच्छी जमीन नहीं है । आप कहीं भी जाइये वहां पर आपको प्लेन जगह नहीं मिलेगी जबकि आपके पास सारा प्लेन है । आप महाराष्ट्र में कहीं भी चले जाइये 10 किलोमीटर जगह भी आपको प्लेन नहीं मिलेगी ।

अगर आपको मिल जाती है तो मैं अपनी सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हूं । कहीं भी प्लेन अच्छी जगह नहीं है हमारे यहां । फिर भी किसान एक-एक किलोमीटर ऊंचाई से पानी लाकर गन्ने की खेती करते हैं । आप जाकर देख लीजिए सातारा में, कोल्हापुर में, सांगली में, मराठवाड़ा में उतनी बात नहीं है । अब वह विकसित हो रहे हैं । मेरे कहने का मकसद यह है कि यह एक नियोजन की बात है । मैं किसी प्रदेश को क्रिटीसाइज नहीं कर रहा हूं । आप तो अब सत्ता में आई हैं बिहार में तो बहुत सालों से हमारी पार्टी का राज रहा । यह सब आप पर निर्भर नहीं करता ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): यह सब आपका ही किया हुआ है ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव: सही तरीके से नियोजन करना बहुत जरूरी है । दूसरी बात यह है कि हमारे सदन के सामने न्यू एग्रीकल्चर पालिसी आई हुई है । इस न्यू एग्रीकल्चर पालिसी के बारे में चर्चा करने की बात कोई नहीं उठाता । यह न्यू एग्रीकल्चर पालिसी क्या है ? श्री बलराम जाखड़ जी ने बड़ी मेहनत और कष्ट से इसको रखा है । मैं चाहता हूं इस पर एक दफा अवश्य डिटेल डिस्कशन हो । सारे सदस्य कहें कि इस न्यू एग्रीकल्चर पालिसी में क्या चाहते हैं । कोई छोटी-मोटी बात होती है तो उस पर सारा सदन पूरे दिन भर काम करता है और इस न्यू एग्रीकल्चर पालिसी पर जो इस देश के भविष्य की पालिसी है और आने वाले सालों में उसका परिणाम आने वाला है उसकी चर्चा नहीं होती । मैं इस पर चर्चा बहुत जरूरी समझता हूं ।

दूसरा मुद्दा एग्रीकल्चर पापुलेशन के बारे में है । 70 फीसदी पापुलेशन कृषि पर अवलम्बित है । कृषि पर आधारित पापुलेशन है उसको कम करने की जरूरत है । कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगा कर जमीन पर जो भार है, लोगों का जो भार है उसको शिफ्ट करना जरूरी है । हमारी भूमि की क्षमता हमारे देश के 25 से 30 परसेंट पापुलेशन से ज्यादा बीयर करने की नहीं है । मैं चाहता हूं इसके बारे में गम्भीरता से सोचें ।

इसके बाद बात आती है न्यू टेक्नोलोजी की । राजीव गांधी एक विशेष न्यू टेक्नोलोजी लाये थे । इसका फायदा यह हुआ कि वाटर मैनेजमेंट, एनीमल हसबेंडरी डेवलपमेंट प्रोग्राम पॉल्टरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हार्टीकल्चर आदि पर इसका असर दिखाई दे रहा है । जो न्यू टेक्नोलोजी प्रोग्राम राजीव गांधी के काल में दिया गया है उनका सोचने का तरीका आधुनिक था । वह चाहते थे जैसे इंडस्ट्रीज आधुनिक बने वैसे ही कृषि भी आधुनिक बने । इसी तरीके से इस न्यू टेक्नोलोजी का कृषि में भी पालन होना चाहिए ।

अभी लैंड सीलिंग की बात भी उठाई गई है । यह बहुत इम्पोर्टेन्ट मुद्दा है । इसमें दो बातें हैं । एक तो यह है दो-दो एकड़, तीन-तीन एकड़ भूमि बांटी गई है गांव में । जो भूमि के मालिक हैं वे शहरों में मजदूरी करने चले गये हैं । या तो वे अपनी जमीन किसी को दे गये हैं या बैरन लैंड पड़ी हुई है । इसलिए इसके बारे में आप एक इकोनोमिक युनिट बनाइये । पांच फेमिली का एक युनिट बनाइये । उसको 18 या 20 एकड़ खेती दीजिए और बाकी की जो खेती है वह ट्रांसफर कीजिए दूसरों को । बाकी जमीन उद्योग में, इंडस्ट्री में, कामर्स में लगाइये । कृषि की पापुलेशन को इसमें शिफ्ट कीजिए । इस तरीके से जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है ।

डा० नौनिहाल सिंह जी ने डंकल प्रोपोजल की बात की है । यह इम्पोर्टेन्ट बात है । डंकल प्रोपोजल सारे देश की कृषि पर आधारित हैं । हमारे किसान चिंतित हैं । इसके बारे में समय क्या है मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता ।

4.00 P.M.

मगर डंकल प्रस्तावों पर भी एक दिन हमारे इस सदन में कालिंग एटेंशन के जरिये या किसी और जरिये से बहस होनी चाहिए और हमारी सरकार को सीधे-सीधे इस सदन को, पार्लियामेंट को और देश को बताना चाहिए कि डंकल प्रस्ताव क्या है और किसानों के हित में आप क्या-क्या करने जा रहे हैं, उस चर्चा का भी हमें स्वागत करना चाहिए ।

मैं अब आखिरी बात कहना चाहता हूं । हमारे डा० बलराम जाखड़ जी को मैं दो बातों के लिए बधाई देना चाहता हूं । वे न्यू एग्रीकल्चर पालिसी लाये हैं और उन्होंने किसानों के उत्पाद के दाम बढ़ाने का काफी प्रयास किया है । दूसरी जो बात उन्होंने की है वह यह है कि वे 270 कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने जा रहे हैं । कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिये कृषि के वैज्ञानिक प्रचार और प्रसार के लिए किसानों के खेत तक पहुंचने को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है जो हमारे डा० बलराम जाखड़ जी की कल्पना है । ये सारे देश में होने जा रहे हैं । इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देना चाहता हूं । मगर इसके साथ-साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि कृषि विज्ञान केन्द्र दूसरे सफेद हाथी न बने । वे सही तरीके से किसानों के घर जाकर किसानों की सेवा करें । किसान को कृषि के बारे में ज्ञान दें । कृषि के लिए उसको जो पैसा चाहिए, फाइनेंशियल एजेंसीज से जो पैसा मिलना चाहिए, किसान में और कृषि विज्ञान केन्द्र में कोआर्डिनेशन होकर हर जिले और हर ताल्लुके में कोर्डिनेट प्लानिंग बने । हमारे देश में जो कृषि उत्पादन बढ़ा है उसका लाभ हमारे देश का किसान उठा सकता है । इन शब्दों के साथ यह जो प्रस्ताव लाये हैं उसका मैं पूरे मन से समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन में इस सदन के सम्मानीय सदस्य डा० नौनिहाल सिंह जी ने कृषि संबंधी समस्याओं एवं समाधान के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इससे पूर्व कि मैं

इस चर्चा में भाग लूं, सर्व प्रथम मैं डा० नौनिहाल जी को इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव लाने के लिए बधाई देना चाहूंगा और इसके साथ-साथ मेरे से पूर्व वक्ता श्री आधव जी से इतना तो जरूर कहूंगा कि कम से कम उन्होंने यह माना कि जितना ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आज तक की सरकारों को देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है । इसीलिए आज इस भारत का किसान अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है । लेकिन उनके पूर्व जब चौधरी हरि सिंह बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वे किसानों से संबंधित प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं बल्कि सरकार के प्रति कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था ।

जहां तक भारत का संबंध है, इसमें कोई दो रायें नहीं है कि आज इस देश की 80 प्रतिशत से ज्यादा संख्या गांवों में रहती है और वह किसान है । जहां इस देश में पहले केवलमात्र दो फसलें होती थीं एक रबी के नाम से जानी जाती थी और दूसरी खरीफ के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाने के कारण हमारे देश में अब तीन फसलें होने लगी हैं । एक रबी की, एक खरीफ की और एक रिलीफ की । जहां तक रबी और खरीफ का संबंध है, यह अधिकांश रूप से प्रकृति पर निर्भर करती है । किसान बहुत मेहनत से फसल पैदा करता है । लेकिन कभी इस देश में बाढ़ आती है, कभी इस देश में सूखा आता है । कभी इस देश में अधिक वर्षा होती है, किसी कोने में हिमपात होता है, कहीं ओला वृष्टि होती है, कहीं बादल फटते हैं तो किसान की सभी आशाओं पर पानी फिर जाता है । उसकी मेहनत सब समाप्त हो जाती है । ऐसी घड़ी में किसान के लिए फिर तीसरी फसल की आशा बंधती है और वह रिलीफ है । आज किसान के सामने दो समस्याएं हैं । एक तो उसको प्रकृति के प्रकोप से जूझना पड़ता है दूसरी तरफ अगर वह इन सब बातों से अपनी फसल को बचा भी ले तो दूसरी वन्य प्राणियों की समस्या रहती है । मैं यह नहीं कहता कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए । उनका संरक्षण भी आवश्यक है । लेकिन इस बात पर भी सोचने की जरूरत है कि जब वन्य प्राणी आकर किसानों की फसल को नष्ट करने लगते हैं तो किस प्रकार से वन्य प्राणियों से उसकी फसल को बचाया जाय । अगर किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो किस प्रकार से उसकी क्षतिपूर्ति की जाय, इस बारे में भी सोचने की जरूरत है । अगर किसी ने अपनी फसल बचाकर तैयार कर दी है तो उसके सामने एक और समस्या पैदा हो जाती है । जब फसल ज्यादा उत्पन्न होती है तो फिर फसल के दाम गिर जाते हैं और उसको अपनी उपज के लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाते हैं । जहां तक रिलीफ फसल का संबंध है, यह तो एक ऐसी फसल है कि जब भी रिलीफ की बात आती है तो चाटुकार लोग और कुछ महत्वपूर्ण लोग इसे गरीब किसान के नाम से खा जाते हैं और वह गरीब किसान बेचारा मुंह ताकते का ताकता रह जाता है । उसको कुछ नहीं मिल पाता है । मैं तो यह कहूंगा कि आज जहां तक रेवेन्यू मैनुअल का सवाल है उसमें भी आज परिवर्तन करने की जरूरत है । आज सारे देश में अगर किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती है, किसी प्राकृतिक प्रकोप से, कोई ऐसा सामान्य कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत सारे देश के किसानों को सामान्य रूप से राहत मिलती हो । हर प्रांत ने अपने किस्म के कानून बनाये हैं । रेवेन्यू रिलीफ के अन्तर्गत जो आज रिलीफ दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं है । मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि आज अगर प्राकृतिक प्रकोप में किसी किसान की जान चली जाती है तो उसके आश्रितों को कहीं दस हजार, कहीं पांच हजार और कहीं 20 हजार दिया जाता है, इससे ज्यादा कहीं नहीं दिया जाता है । मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं । मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि अभी हाल में वहां बाढ़ से 50 लोगों की जानें गयी । लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के अपने सीमित साधन है इसलिये अपने सीमित साधनों से दस हजार या बीस हजार रुपये से ऊपर वह नहीं दे पायी । अभी प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर गये थे और उन्होंने कहा था कि वे अपने राहत कोष से ऐसे लोगों के आश्रितों को 50 हजार रुपया देंगे । मैंने उस समय भी, जब बाढ़ पर एक प्रस्ताव यहां आया था, उस समय चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि सामान्यरूप से सारे देश में अगर किसी भी किसान की प्राकृतिक प्रकोप के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को कम स कम 50 हजार रुपया देना ही चाहिये और केंद्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके आश्रितों को कम से कम 50 हजार रुपया मिले । जब किसान की खड़ी फसल नष्ट हो जाती है, चाहे हिमपात से हो, चाहे ओला वृष्टि से हो, चाहे बाढ़ से हो और चाहे सूखे से हो, उसको कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि राजस्व मैनुअल में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है । अगर फसल नष्ट हो जाय, उसकी उपजाऊ भूमि बह जाय, उसको उसका कुछ भी नहीं मिलता है । कहते हैं या तो काम के बदले अनाज ले लो या आपका हम भू-राजस्व माफ कर देंगे । भू-राजस्व माफ करना तो किसानों के साथ मजाक है । पाँच-दस रुपया साल की फसल का भू-राजस्व माफ कर दिया जाए, उसको लेने या न लेने से किसान को क्या फर्क पड़ता है । इसलिये इसके लिये एक सामान्य कानून बनाने की जरूरत है । जब बाढ़ से किसी किसान की भूमि बह जाती है तो पर बीघ या पर एकड़ उसको कुछ न कुछ मिलना चाहिये । महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करूंगा कि कम से कम दो हजार रुपया प्रति बीघा तो उसको क्षतिपूर्ति मिलनी ही चाहिये । इसी प्रकार से यदि आग के कारण कहीं फसल नष्ट हो जाय, गाँव जल जाय, किसान बेघर हो जाय तो इसके लिये भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये । अभी मई मास की बात है । 14 मई को कुल्लू जिले के बिल्कुल एक दुर्गम क्षेत्र में बरसेणी नामक गाँव है । वहां पर आग लग गयी और 46 किसानों के घर जल गये । हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास सीमित साधन है, इसलिये वह अधिक से अधिक साढ़े तेरह हजार रुपया प्रति परिवार दे पायी । मैं जानना चाहूंगा कि क्या साढ़े तेरह हजार में घर बन सकता है ? रेवेन्यू मैनुअल में इस प्रकार का प्रावधान है कि जितनी क्षति किसी को पहुंचे उसका केवल मात्र 10 प्रतिशत दिया जाता है और अधिक से अधिक उसको दस हजार रुपया दिया जा सकता है । तो क्या दस हजार या बारह हजार में घर बन सकता है ? मैंने यह भी मांग की थी कि इस घड़ी में

प्रधानमंत्री महोदय वहां पर गरीब किसानों की मदद करें और अपने राहत कोष से कुछ और धन दें क्योंकि अब वहां पर बर्फ पड़ने वाली है, नवंबर मास में वहां बर्फ पड़ जायेगी और मार्च तक सारा क्षेत्र बर्फ से ढका रहेगा । न इन लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना है और न पैसों का ठिकाना है । मुझे विश्वास है, हमारे कृषि मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, वे मेरी यह जो मांग है वह प्रधानमंत्री महोदय तक अवश्य पहुंचायेंगे ताकि इस प्रकार की घोषणा जल्दी से जल्दी की जा सके । जहां तक वन्य प्राणियों की बात मैंने कही, आज कई जगहों पर यह समस्या खड़ी है । मैंने राजस्थान में जा कर देखा है । आज जिस प्रकार से नीलगाय की संख्या बढ़ रही है, बन्दरों की संख्या बढ़ रही है, किसानों को अपनी फसल बचाना मुश्किल हो गया है । यह ठीक है कि वन्य प्राणियों की जान की रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य है । इसमें हम आपके साथ हैं । सारा देश आपके साथ है । लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जब इस प्रकार के वन्य प्राणी किसान की खड़ी फसल को उजाड़ देते हैं तो उसमें भी क्षतिपूर्ति दिये जाने का पूरा-पूरा प्रावधान होना चाहिये । क्योंकि आज यह कहा जाता है कि अगर वन्य प्राणी आपकी फसल का नुकसान भी करें तो उस जानवर को मारने का कोई अधिकार आपको नहीं है । आप रिपोर्ट करेंगे, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आएगा तब उस पशु या जानवर को मारेगा । जब तक आप रिपोर्ट करेंगे और वहां से अधिकारी लोग आते हैं तब तक सारी की सारी फसल उजड़ जाती है और किसान को कुछ भी नहीं मिलता है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि जब किसान के पास फसल अच्छी आ जाती है तो उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है क्योंकि मंडियों में उचित प्रबंध नहीं है । चौधरी हरि सिंह जी तो कह रहे थे कि बहुत बढ़िया प्रबंध है, आज कहीं कोई बिचौलिया नहीं है लेकिन मैं उनको अधिक दूर नहीं ले जाना चाहता हूं । मैं उनसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कल परसों छुट्टी है चलो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी हो कर आते हैं । इस मंडी में हिमाचल प्रदेश और अन्य प्रदेशों से फल और सब्जियों और दूसरी चीज़ों के टकों के ट्रक लाद कर आते हैं । जो यहां बिचौलिये बैठे हैं, उन्होंने किसानों के सिर पर कोठियां बना ली हैं । पासवान साहब का कहना बिलकुल ठीक है थोक के व्यापारी बैठे है कि जो गरीब किसान है, जो सब कुछ पैदा करता है वह बेचारा जमीन का जमीन पर है, उसकी झोंपड़ी में कोई सुधार नहीं हुआ है । लेकिन उनके सिर पर बड़ी-बड़ी कोठियां जरूर बन गई हैं । उन्होंने कोठियां बनाई, इस पर मुझे आपत्ति नहीं है क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है लेकिन मैं सरकार से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मंडियों में सुधार करने की जरूरत है । मैं समझता हूं जैसे यादव जी ने कहा, नयी कृषि नीति की चर्चा की, उस पर इस माननीय सदन में चर्चा होना आवश्यक है । जब तक आप कृषि को उद्योग घोषित नहीं करेंगे तब तक इस देश का किसान उठ नहीं पाएगा । मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि कृषि नीति में आमूलचूल परिवर्तन किये जाएं, उसको व्यावहारिक बनाया जाए और इसके साथ-साथ कृषि को उद्योग भी घोषित किया जाए ।

मैं अब आपका ध्यान फल उत्पादकों की ओर ले जाना चाहूंगा । आज इस देश में हर वर्ष करोड़ों रुपये के फल और सब्जियां पैदा होती हैं । बिना विधायन सुविधा के हज़ारों टन फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि जहां इस प्रकार के फल और सब्जियां पैदा होती हैं, उन क्षेत्रों में फल और सब्जियों पर आधारित उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें । मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा । आज हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में बीज का आलू पैदा करते हैं । बढ़िया आलू तो महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य प्रदेशों में चला जाता है लेकिन जो थर्ड ग्रेड का आलू होता है वह सारे का सारा कुल्लू में आ कर ब्यास नदी में फेंका जाता है क्योंकि इस पर आधारित कोई उद्योग यहां पर नहीं है । आलू स्टार्च पैदा करता है । अगर ऐसे क्षेत्रों में स्टार्च पर आधारित कोई उद्योग लगाया जाए तो थर्ड ग्रेड आलू भी काम आ सकता है । कुछ प्रान्त बेमौसमी सब्जियां पैदा करते हैं, टमाटर पैदा करते हैं । उन क्षेत्रों में टमाटर पर आधारित उद्योग लगाने चाहियें । टमाटर से पाउडर तैयार कर सकते हैं । जहां फल पैदा होते हैं, वहां फलों पर आधारित उद्योग लगाए जाने चाहियें । मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण देना चाहूंगा । यह मैं अनेकों बार इस माननीय सदन में दे चुका हूं । मंत्री महोदय का जवाब भी आया है । मैंने कहा था कि अगर आप बागवानों का देश के बागवानों का भला करना चाहते है तो यह मेंडेटरी कर दीजिये कि जितने भी शीतल पेय पदार्थ बनते हैं सब में 20 प्रतिशत फलों का रस होना अनिवार्य कर दीजिये । आज जितने भी शीतल पेय पदार्थ है सारे के सारे सिंथेटिक से तैयार होते हैं । यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं । ... आज होटलों में, अस्पतालों में, हर जगह कैम्पा-कोला, लिमका या गोल्ड-स्पाट, इस प्रकार के कोल्ड-ड्रिंक्स दिये जाते हैं, जो पौष्टिक नहीं हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं ।

मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार को क्या दिक्कत है कि इसमें 20 प्रतिशत फल का रस अनिवार्य क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी मैं यह प्रश्न उठाता हूं, तो सरकार से जवाब मिलता है कि यह संभव नहीं है ।

आखिर मैं जानना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि जब इस प्रस्ताव की चर्चा पर मंत्री महोदय जवाब देंगे, तो इस बात को जरूर स्पष्ट करें कि आखिर इस फल रस का होना अनिवार्य क्यों नहीं किया जा सकता ? कौन से कारण हैं कि यह अनिवार्य नहीं किया जा सकता ?

अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज इस देश में कोई भी जब स्ट्राइक होती है, किसानों पर भी उसका असर पड़ता है । इस समय ट्रकों की स्ट्राइक चल रही है और सरकार की तरफ से बार-बार बयान आ रहे हैं कि इस स्ट्राइक का कोई असर नहीं है, हर तरीके से, हर तरह से व्यवस्था कर दी गई है । परसों ही जब मैंने इसके बारे में प्रश्न पूछा था, तब भी मैंने कहा था कि मैं एक ऐसे प्रांत से आता हूं जहां आजकल फलों का सीज़न जोरों पर है, आजकल वहां से बेमौसमी सब्जियां आ रही

हैं, सेब नाशपाती आ रही है, टमाटर आ रहे हैं और आपकी आजादपुर मंडी, जो दिल्ली में स्थित है, वह हमारी मुख्य मंडी है।

आजकल मेरे हिसाब से रोज चालीस या पचास ट्रक्स शिमला डिस्ट्रिक्ट से आने चाहिएं और इतने ही कुल्लू जिले की ओर से आने चाहिए, लेकिन यह नहीं आ पा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व जब यह स्ट्राइक नहीं थी, तो हिमाचल प्रदेश में ही टमाटर की कीमत किसान को दस, बारह, चौदह रुपये किलो मिल रही थी और दिल्ली में तो आज भी बीस-पच्चीस रुपये किलो टमाटर है। लेकिन इस स्ट्राइक की वजह से जो वहां के किसान हैं, उनको आज टमाटर की कीमत तीन-चार रुपये किलो मिल रही है, और आप कह रहे हैं कि इस स्ट्राइक का किसान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।

मंत्री महोदय ने कहा कि हम दो सौ ट्रकों का प्रबंध कर रहे हैं, हिमाचल को ट्रक भेज देंगे, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा और यहां उन्होंने अपने स्टेटमैंट में भी कहा कि यह जो ट्रक के आपरेटर्ज़ की मांग है, उन्होंने अपना मांगपत्र जो है, वह सरकार को 31 मार्च, 1992 को दिया था और फिर वह पहली जुलाई 1992 को स्ट्राइक पर भी गये और सरकार ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगें उचित हैं, हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, आपकी मांगें पूरी करेंगे, आप स्ट्राइक वापिस ले लीजिए।

उन्होंने स्ट्राइक वापिस ले ली और एक साल का कालखंड बीत गया और जुलाई, 1993 में 31 जुलाई को फिर ट्रक आपरेटर्ज़ स्ट्राइक पर जाते हैं। तब मंत्री जी कहते हैं कि यह तो स्टेट सबजैक्ट है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक साल भर यह सरकार घास खोद रही थी क्या, या किस कुंभकरण की नींद में आप लोग सोए थे? जब आपने आश्वासन दे दिया कि हम आपकी सारी मांगें पूरी करवा देंगे, तो आज कौन सी वह अड़चनें हैं, जिनकी वजह से आप उनकी मांगें पूरी नहीं करवा पा रहे हैं? मैं यह भी जानना चाहूंगा। (समय की घंटी) मैं बस समाप्त ही कर रहा हूं।

आज हालत यह है कि आपके जितने हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों में बैठे हुए किसान और बागवान हैं, वह हैरान-परेशान हैं। ट्रकों की व्यवस्था तो आप कर देंगे। मैंने यहा भी कहा था कि आज जहां तक आक्ट्राय की, पथ कर की बात है, हिमाचल प्रदेश में दोनों चीजें नहीं हैं और जिन 8 प्रांतों में आज यह आक्ट्राय लगी है, उनमें छह जगह पर आपका ही राज्य है और हिमाचल से जो उपज आनी है किसान की, उसमें दो प्रान्त बीच में पड़ते हैं, एक हरियाणा और दूसरा पंजाब। हरियाणा और पंजाब में ही यह पथ कर और आक्ट्राय भी है। कम से कम इस तरफ तो ध्यान दीजिए! आज दो सौ रुपये प्रति ट्रक हरियाणा सरकार लेती है और सौ या दो सौ रुपये प्रति ट्रक पंजाब सरकार ले रही है।

आखिरकार यह किसके सिर पडेगा और अगर चौबीस घंटे में ट्रक वापिस न हुआ, तो दुबारा यह पैसा देना पड़ता है, अर्थात् छह सौ रुपये आज उस ट्रक आपरेटर को हिमाचल प्रदेश से आजादपुर मंडी में फल या सब्जी ढोने के लिए देना पड़ता है। आखिर यह कौन देता है। यह ट्रक आपरेटर नहीं देता है, यह बेचारे किसान के सिर से निकलता है, उसी बागवान के सिर से निकलता है जिसकी उपज मंडी में आती है।

तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, भले ही यह विषय मूलतः मंत्री महोदय से संबंध रखता है, लेकिन कृषि मंत्री यहां बैठे हैं और आपसे संबंधित किसानों की उपज का सवाल है। उनकी उपज मंडी में आनी है। मुझे आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जब तक यह स्ट्राइक समाप्त नहीं होती आप ट्रकों की समुचित व्यवस्था करेंगे और उनके लिए सेक्युरिटी का भी पूरा प्रबन्ध करेंगे ताकि समय रहते यह जो पैरीशेबल आइटम्ज़ हैं, ये मंडी में आ सकें।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह भी आवश्यक हो गया है कि आपके यहां बागवानी इतनी बढ़ चुकी है कि इसके लिए एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए, ताकि देश के जो बागवान हैं, चाहे वे सेब पैदा करते हैं, चाहे संतरा पैदा करते हैं, चाहे वे कोई अन्य फल पैदा करते हैं, उनके लिए भी समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही समय रहते हर चीज़ के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाए। ताकि यह किसानों का जो शोषण है, यह बागवानों का जो शोषण हो रहा है, यह बंद हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस माननीय सदन में ऐसे अवसर यदाकदा ही आते हैं जब हम किसानों से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए खड़े होते हैं। यद्यपि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस ओर हमारा ध्यान कम ही जाता है कि किस ढंग से कृषि का विकास हो और किसान के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास हों। हमारे देश के लगभग 70 प्रतिशत लोग किसान कहलाते हैं। किसानी के व्यवसाय में यदि किसानों की तरक्की हो जाएगी तो देश अपने आप प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक देगा, अपने आप देश का विकास होगा। इसलिए आवश्यक है कि यदि हम देश का विकास चाहते हैं तो कृषि विकास पर प्राथमिकता और वरीयता के आधार पर हम लोग ध्यान दें। मुझे प्रसन्नता है कि इस विषय पर विचार करने के लिए हमारे इस सदन के विद्वान सदस्य डा० नौनिहाल सिंह जी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है। उन्होंने सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जहां जिक्र किया है, साथ बिचौलियों की वजह से किसान को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे बेरोज़गार नौजवान साथी हैं, उनको किन कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसकी तरफ उन्होंने चिंतापूर्वक ध्यान आकर्षित किया है। यह एक अच्छी बात है कि जहां उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है वहीं हम इस बारे में

ध्यान दे रहे हैं और यह सदन इस बात पर विचार कर रहा है कि आखिर कौन से उपाय किए जाएं कि किसानों का जीवन-स्तर बेहतर हो, किसान प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक दे और जो कृषि नीति में विसंगतियां हैं, उनको किस ढंग से दूर किया जा सके, जो कृषि नीति में कमियां हैं उन्हें कैसे सुधारा जा सके और साथ ही नए किस ढंग के उपाय किए जाएं, जिससे कि हमारे भारत देश का किसान उन्नत किसान कहला सके । मुझे यह भी प्रसन्नता है कि वर्तमान कृषि मंत्री बलराम जाखड़ जी और अरविन्द नेताम जी जो हैं, वे किसान तबके से ही संबंधित हैं । उन्हें इस बात का भली-भांति ज्ञान है कि किसान का शोषण किस ढंग से होता है । किसानों के सामने क्या-क्या समस्याएं हैं, इसका उन्हें प्रत्यक्ष एहसास है और मुझे विश्वास है कि जब हम डा० नौनिहाल सिंह जी के संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन दोनों मंत्रियों की किसानों को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में एक सार्थक भूमिका रहेगी ।

मान्यवर, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कृषि उपज मंडी की कार्य-प्रणाली का उल्लेख किया । उसके साथ-साथ जो हमारे ग्रामीण नौजवान साथी हैं, उनको रोजगार मुहैया कराने के जो अलग-अलग कार्यक्रम है, उनका उल्लेख किया, उससे यह तो साबित होता है कि सरकार की मंशा पवित्र है, लेकिन कहीं-न-कहीं कोई कमियां हैं, कहीं-न-कहीं कुछ खामियां हैं जिनकी वजह से जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करने के उपरांत भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं ।

मान्यवर, जो अलग-अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ वर्ष 1992-93 में, उनके आंकड़े मैं मिलियन टन में देना चाहूंगा । चावल का प्रोडक्शन टार्गेट 77.25 मिलियन टन था और उत्पादन 72.6 मिलियन टन हुआ । यहां लक्ष्य के मुकाबले में परिणाम में कमी आई, लेकिन गेहूं का लक्ष्य पूरा-का-पूरा प्राप्त किया गया अर्थात् 57 मिलियन टन था और लक्ष्य भी उतना ही निकला । इसी प्रकार टोटल फूड-ग्रेंस का लक्ष्य 183 मिलियन टन था, लेकिन परिणाम 151.2 रहा, सुगर केन का 243 था जोकि 234 रहा । तो यह आंकड़े ज्यादा विसंगतियां नहीं दर्शाते हैं । मैं इसके लिए मंत्रालय को बधाई तो नहीं देता हूं क्योंकि यह मंत्रालय का काम था कि कृषकों के हित में वह देखे कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी पूर्ति हो । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह प्रसन्नता है कि 1980-81 और 1990-91 के बीच में प्रतिवर्ष प्रोडक्शन और ईल्ड का परसेंटेज इनक्रीज्ड हो रहा है । चावल के प्रोडक्शन में 3.8, गेहूं 3.6, पल्सेस 1.9, ऑइल सीड्स 4.7 और सुगर केन में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसी प्रकार ईल्ड में चावल में 3.3, गेहूं में 3.1, पल्सेस में 1.7, ऑइल सीड्स में 3.9 और सुगर केन में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में गेहूं का प्रोक्यूरमेंट 13 मिलियन टन है । इस आधार पर हम यह तो कह सकते हैं कि हमारा देश आत्म-निर्भर है और हम किसी के सामने मुंह बाकर खड़े होने की स्थिति में नहीं है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : आपने फिर भी बाहर से गेहूं मंगाया ।

श्री सुरेश पचौरी : जी हां, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं । हमारे सामने जो समस्याएं है । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष जी, पचौरी जी को कितनी चिंता है देश के किसानों की, वह तो हमेशा बोलते रहते हैं और मंत्री जी को जवाब देना है, केवल एक सदस्य सत्ता पक्ष के बैठे हैं इतनी चिन्ता है आपको किसानों की ।

श्री महेश्वर सिंह : पचौरी जी को तो हैं ।

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि मंत्रालय द्वारा तो समय-समय पर हमारे किसान को उन्नत किसान बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अनायास कुछ ऐसी समस्याएं सामने आ जाती है जिसका कि सामना उसको करना पड़ता है । उसे प्राकृतिक विपदा से उत्पन्न समस्या का सामना सबसे अधिक करना पड़ता है जिसका कि उल्लेख डा० सिंह ने किया । बाढ़ और सूखे की अभी हमने कॉलिंग अटेंशन के जरिए चर्चा की और प्रतिवर्ष दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हम इन पर चर्चा करते हैं । यह बहुत दुर्भाग्यजनक है । लेकिन एक और प्राकृतिक आपदा होती है, वह ओलावृष्टि की होती है । ओले की वजह से किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसकी यद्यपि कल्पना भी नहीं कर पाते हैं और एक ऐसी स्थिति हो जाती है, जिसके लिए पहले से कुछ प्रीकॉशनरी मेजर्स भी नहीं उठा पाते । जब मौसम का ज्ञान होता है किसान को, तब वह बाढ़ और सूखे की स्थिति का तो सामना करने के लिए मानसिक स्थिति में आ जाता है, लेकिन ओलावृष्टि से प्रभावित किसान की मानसिक दशा बड़ी दयनीय होती है । इसलिए मंत्रालय को इस संबंध में भी विचार करना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश से, वहां के किसानों को ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा है । माननीय मंत्री जी स्वयं वहां दौरा करके और किसानों से प्रत्यक्ष बात करके, उनके दुख-दर्द का अहसास करके लौटे है कि क्या हालत किसान की हो जाती है । हम लोग समय समय पर उनको कुछ आर्थिक मदद देने की घोषणा भी करके आते हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होती । इसके लिए क्रोप इंशोरेंस स्कीम तुरन्त लागू करना बहुत अनिवार्य है । क्रोप इंशोरेंस स्कीम लागू होने से, किसान को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उससे उसको आंशिक मुक्ति मिलेगी । आंशिक मुक्ति, पूरी नहीं मिल सकती क्योंकि किसान का जो नुकसान होता है उसकी तो भरपाई की ही नहीं जा सकती ।

मान्यवर, सूखा प्रभावित किसान और ओलावृष्टि प्रभावित किसान के लिए सरकार ने यह घोषणा की थी कि इस वर्ष के बिजली के बिलों का भुगतान उनसे नहीं लिया जाएगा । मैं मध्यप्रदेश के संदर्भ में यह बात कह रहा हूं । माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं । सरकार ने यह घोषणा की, सरकार ने अपनी

उपलब्धियों में भी यह बताया कि किसानों से बिजली के बिलों का भुगतान इस वर्ष नहीं लिया जाएगा । मैं विनम्रता पूर्वक उनको कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश के किसानों से बिजली का बिल भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है, उनकी बिजली काट दी गई है, आगे उनको जो फिर से मोटर मिलती है, जो किसान सिंचाई के लिए लगाता है उसका एस्टीमेट नहीं दिया जा रहा है । बात यह भी कही जाती है कि मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड की तरफ से जो हमको जानकारी चाहिए थी वह जानकारी नहीं मिल पाई, जो कदम उठाना था वह नहीं उठा पाए । इस टेक्नेलिटि में जाने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि हमने जो घोषणा की, उसका अमल अक्षरशः कितना हो पाया । इस बात पर जानना बहुत आवश्यक है । मैं इस विषय पर, जब इस संकल्प पर चर्चा हो रही है तो, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह देखें कि बिजली के बिलों के भुगतान के संबंध में जो किसानों को परेशान किया जा रहा है, उनकी ट्राली खींच ली जाती है, उनके घर का सामान जबरदस्ती प्रशासकीय अधिकारी लेकर आ रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्यवाही करें ही, साथ ही जो मोटर वगैरह लगाने के लिए एस्टीमेट होता है, उसके लिए यहां से हिदायतें दें कि किसानों के हक में कदम उठाए जाएं ।

मान्यवर, बाढ़ और सूखे का सामना करने के लिए, उसकी असेसमेंट करने के लिए सेण्ट्रल टीम यहां से भेजी जाती है । क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप मंत्रालय ने बनाया है, वह एक अच्छा कदम है । इस सेण्ट्रल टीम और क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप ने अच्छा काम किया है, लेकिन यह एक शॉर्ट टर्म मेजर है । प्रश्न इस बात का है कि ऐसी विपदा का सामना हमको न करना पड़े । इसलिए मंत्रालय इस बात पर विचार करे कि लोंग टर्म मेजर क्या अपनाए जाने चाहिएं ताकि किसान को बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े । इस बारे में मंत्री जी जरूर कोई कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ।

मान्यवर, किसानों को वित्तीय मदद मिल पाए, इसके लिए कई अलग-अलग स्कीम है । कई फाइनेन्सियल इंस्टीट्युशन के माध्यम से, बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से मदद मिलती है । लेकिन, यह जो इंस्टीट्युशन है, इनका रोल क्या है, कोपरेटिव का रोल क्या है, कोपरेटिव बैंक का रोल क्या है, भूमि विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, इनका व्यवहार किसानों के प्रति कैसा है ? इस बारे में भी जानकारी मंत्रालय ले । किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए आपने जो योजना बनाई है, वह योजना तो सराहनीय है, लेकिन उससे किसान को कितना समय-समय पर लाभ मिल पा रहा है, इसके लिए एक तो आप एजेन्सी बनाएं जो इस बात की जानकारी ले । फीड बैंक सिस्टम होना बहुत आवश्यक है । मेरे एक और अन्य हिमाचल के साथी ने सब्जियों और फलों संबंधी बात उठाई । किसान केवल क्रॉप्स पर आधारित नहीं है । आजकल किसान सब्जी उगा रहा है और अलग-अलग फलों की पैदावार कर रहा है और उससे अपने परिवार का जीवन-यापन करता है । जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, उनको प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है । कृषि मंत्रालय इस बारे में भी विचार करे क्योंकि डा॰ नौनिहाल सिंह जी ने एक बिन्दु उसमें रखा है कि किसानों की आर्थिक हालत को कैसे सुधारा जाए । आर्थिक हालत केवल क्रॉप के जरिए नहीं सुधरेगी, आर्थिक हालत तब सुधरेगी जब किसान बायो-टैक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करेगा, जब आधुनिक तकनीक का वह इस्तेमाल करेगा । आधुनिक तकनीक की जानकारी किसान को दिया जाना आवश्यक है । इसके साथ-साथ ऐसे उपाय किए जाने आवश्यक हैं जिनसे कि किसान की पैदावार में बढ़ोत्तरी हो । किसान की जो पैदावार है, वह अलग-अलग, किसी भी प्रकार के इनसेक्ट्स की वजह से, किसी भी प्रकार की बीमारियों की वजह से प्रभावित न हो । किसान को ये सारी सुविधाएं मुहैया करानी बहुत आवश्यक है । इसके बारे में भी मंत्री जी अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कृषि का उत्पादन तो बढ़ेगा ही साथ ही साथ किसान, जो अपने परिवार का लालन-पालन एक साल की पैदावार से करता है, उससे भी उसको निश्चिन्तता मिलेगी, ऐसा मेरा विचार है ।

मान्यवर, जो नेचुरल डिसास्टर्स से सामना करने के लिए स्कीम्स बनी हैं, उन पर भी पुनर्विचार करना आवश्यक है क्योंकि कुछ न कुछ तो वजह है कि जो आपने स्कीम्स बनाई हैं, उनका पर्याप्त लाभ किसान को नहीं मिल रहा है । इसलिए आप एक ऐसी समिति बनाएं ताकि अभी फिलहाल जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, जो ड्रॉउट प्रोन एरिया में प्रोग्राम चल रहे हैं, जो नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जो रेनफेड कल्टीवेशन स्कीम्स चल रही हैं, उनका कार्यान्वयन कितना हो पाया है, यह आप विचार करें । यदि वांछित कार्यान्वयन नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? मैं सरकार की मंशा पर बिलकुल शक नहीं कर रहा हूं, सरकार ने अपनी तरफ से कार्यक्रम बना दिया—आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ प्रोग्राम बना दिया, आर॰ एल॰ ई॰ जी॰ पी॰ प्रोग्राम बना दिया, इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण नौजवान साथी हैं उनके लिए रोजगार का सृजन हो सके, इसके लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ट्राइसेम प्रोग्राम बना दिया । लेकिन आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ प्रोग्राम के अंतर्गत, ट्राइसेम प्रोग्राम के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए ? कितना हमारा लक्ष्य था ? जो लक्ष्य था उसके मुकाबले लोग लाभान्वित क्यों नहीं हो पाए ? उसमें कितने ऐसे लोग थे, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले थे ? इसमें कितने वह लोग थे जो शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स लोग थे ? इसमें कितने वह लोग थे जो जवाहर रोजगार योजना की पात्रता रखते हैं ? क्योंकि जवाहर रोजगार योजना का जो मूल उद्देश्य था, वह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले पुरूषों और महिलाओं के लिए रोजगार सृजन का तो है ही साथ ही साथ और भी उसके उद्देश्य थे । तो कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई ? आप जब यह आंकड़े देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिन स्कीमों का मैंने अभी जिक्र किया है, ये स्कीम्स तो बहुत अच्छी थीं, लेकिन उनसे वांछित जो आपके लक्ष्य थे, उनकी पूर्ति न होने की वजह से आपके उद्देश्य की सही पूर्ति नहीं हो पा रही है और जब

उद्देश्य की सही पूर्ति नहीं हो पा रही है तो कृषि विकास जितना होना चाहिए, किसान की जितनी तरक्की होनी चाहिए, उतनी तरक्की नहीं हो पा रही है। इस पर आप विचार करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

मान्यवर, इसके अलावा और जो फंड्स की व्यवस्था की है अलग-अलग स्कीम्स में आठवीं पंचवर्षीय योजना में, उस पर आप विचार करेंगे। तो फंड्स में बढ़ोत्तरी किया जाना बहुत आवश्यक है। जो होलसेल असेम्बली मार्किट्स हैं, उनको हालांकि आपने रेग्युलेट कर दिया है, जो हमारे देश के 6.983 मार्किट्स हैं, उनमें से आपने 6.738 मार्किट्स को रेग्युलेट किया है, यह एक अच्छा कदम है। इसके साथ-साथ और भी जो आपने कदम उठाए हैं टाइसेम योजना के तहत और दूसरी स्कीमों के तहत, वे एक अच्छे प्रयास थे, लेकिन उनसे वह वर्ग लाभान्वित नहीं हो पाया है, वह क्षेत्र उसमें अछूता रहा है, जिस क्षेत्र को वरीयता के आधार पर लाभान्वित करने की आवश्यकता थी। मान्यवर, एक और मुद्दा मैं उठाना चाहूंगा कि बहुधा यह देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ग्रामीण भाईयों की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, वह हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। रूरल एरियाज में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। जो हैल्थ फेसिलिटी होनी चाहिए, जो एजूकेशन फेसिलिटी मिलनी चाहिए, जो उनकी दीगर आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। उनका यह पलायन हम तब रोक पाएंगे जब हम उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। जब किसान यह महसूस करता है कि उसका तो पीढ़ी-दर पीढ़ी शोषण होता आया है तथा अब उनके आगे की पीढ़ी शोषण से मुक्त रह पाए, आगे की पीढ़ी अनपढ़ न रह पाए उसके लिए वह अपने बच्चों को शहरों की तरफ भेजते हैं। लेकिन शहर में वह सारी सुविधाएं उनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जिन सुविधाओं की आकांक्षाओं में वह अपने बच्चों को शहर भेजते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही यह सुविधाएं उनको दे देंगे तो हमको ऐसे पलायन से मुक्ति मिलेगी। जब हम कृषि नीति पर विचार कर रहे हैं, जब हम कृषि विकास पर विचार कर रहे हैं, जब हम यह विचार कर रहे हैं कि किसानों को बिचौलियों से कैसे बचाया जाए, किसान अपनी पैदावार का सही मूल्य ले पाए, किसानों को कृषि उपज मंडी में होने वाली परेशानियों से कैसे दूर किया जाए, तब हमको यह भी विचार करना आवश्यक है कि किसान गांव से शहर की तरफ पलायन न कर पाए, इसको कैसे रोका जाए। यदि इस देश का किसान गांव से शहर की तरफ चला जाएगा तो इस देश की कृषि की पैदावार प्रभावित होगी और यदि इस देश की कृषि की पैदावार प्रभावित होगी तो जैसा मेरे एक साथी ने मुझे बीच में टोककर कहा था कि आखिर, क्या वजह है जब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं तो आज भी हम विदेशों से अन्न मंगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति और बढ़ेगी। ऐसी स्थिति का हमको और हमारे देशवासियों को सामना न करना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि हम विचार करें कि कृषि से सम्बन्धित जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का पूरे का पूरा कैसे मूर्त रूप से पालन किया जाए, कैसे उसका पालन हो पाए, इस बारे में विचार करें। जो उनकी स्कीम्स हैं, उनके क्रियान्वयन में जो बीच में व्यवधान पैदा होता है, जो अड़चनें आ जाती हैं उन अड़चनों को हम कैसे दूर कर पाएंगे, इस बारे में भी हम विचार करें और इसके साथ-साथ हम इस बारे में भी विचार करें कि हम अपने देश के किसान को और ज्यादा सुविधाएं कैसे दे सकते हैं। यद्यपि आपने अलग-अलग अपने-अपने डिपार्टमेंट में यूनिट बना रखे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आई॰ सी॰ ए॰ आर॰ है। आई॰ सी॰ ए॰ आर॰ का जो काम है वह काम क्या पूरा हो पा रहा है, इस बात का भी आकलन करना आवश्यक है। आज का आधुनिकतम तकनीकी ज्ञान जो हम किसानों को दे सकते हैं, क्या वह हम उसको दे पा रहे हैं, इस पर भी विचार करना जरूरी है और मुझे विश्वास है कि जब हम इस दिशा में विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई के लिए वह हम कर पाएंगे जिसकी कि लोग हमसे आकांक्षा किए हुए हैं। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, वह यद्यपि 3 प्रतिशत से ज्यादा है और जो हमारा पौपुलेशन ग्रोथ रेट है वह 2.1 प्रतिशत है। तो निश्चित रूप से यह तो संतोषजनक बातें हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि क्या आज का किसान खुशहाली के दौर से गुजर रहा है? क्या आज के किसान के सामने कोई मानसिक तनाव पैदा करने वाली बातें तो नहीं हैं, इस बारे में भी हम विचार करें। यदि हम किसानों को या कृषि से संबंधित जो दूसरे भाई हैं, उनको हम इन तनावों से मुक्ति दिला पाएंगे तो इससे निश्चित रूप से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही उससे हमारे देश का विकास भी होगा और साथ-साथ हम अपने किसान भाईयों के लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसा मेरा विचार है।

डा॰ नौनिहाल सिंह जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसकी मैं सराहना करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इसके पीछे जो मंशा छिपी हुई है, जो उनकी इच्छाशक्ति है, वह यह है कि हमारा किसान खुशहाल रहे और हमारा भारत देश तरक्की करे, वह निश्चित रूप से जब हम कृषि नीति में कुछ परिवर्तन करेंगे, क्रोप इंश्योरेंस स्कीम लागू करेंगे तो निश्चित रूप से उस मंशा की पूर्ति हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात की इतिश्री करता हूं।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष जी, डा॰ नौनिहाल सिंह ने इस सदन में आज जो संकल्प प्रस्तुत किया है, वह देश की सबसे बड़ी गंभीर और ज्वलंत समस्या है। जिस प्रकार उन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मान्यवर, जो भी कृषि प्रधान देश होता है, वह तभी तरक्की कर सकता है जब उस देश में कृषि की तरक्की होती है और कृषि प्रधान देश ने अगर खेती में तरक्की नहीं की तो वह देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। चाहे उसमें कितने ही कारखाने लगा दिए जाएं, अगर धरती से उत्पादन नहीं बढ़ाया गया तो वह देश तरक्की नहीं कर सकता है।

मान्यवर, जितना भी सामान है, वस्तुएं हैं, वह सब जमीन के अंदर से निकलती हैं। अनाज जमीन के अंदर से निकलता है, फल जमीन के अंदर से निकलता है, लोहा, कोयला, सोना, सारी चीजें जमीन के अंदर से निकलती हैं। जिसे हम दौलत कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, वह सब धरती मां के गर्भ से निकलता है और जिस देश ने इस दौलत को निकालने की कोशिश नहीं की, वह देश हमेशा गरीब रहता है।

महोदय, मैं चौधरी हरि सिंह की बात सुन रहा था। बातें ठीक कर रहे थे लेकिन जिस तरह से वह प्रशंसा कर रहे थे सरकार के करमों की, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मान्यवर, गत 46 वर्षों में अगर सरकार ने खेती पर ध्यान दिया होता, कृषि-उत्पादन को बढ़ाया होता तो इस साल 10 हजार मीट्रिक टन गेहूं कनाडा से और दूसरे देशों से हमको नहीं मंगाना पड़ता और वह गेहूं भी किस तरह का मंगाया गया? सड़ा हुआ गेहूं, बदबूदार गेहूं और महंगा गेहूं मंगाया गया। यह सरकार इस देश के किसान को लाभकारी मूल्य तो दे नहीं पाती है और विदेशों से जो गल्ला मंगाया गया वह 500 रूपए प्रति क्विंटल के रेट से मंगाया गया जब कि सरकार साढ़े तीन सौ रूपए क्विंटल भी किसानों को देने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि सरकार चाहे जितनी घोषणाएं करे, मैं कहूंगा कि सरकार की असफलता असफलता ही है। चाहे जितनी ही प्रशंसा करें, जब देखते हैं कि रेल पटरी से नीचे जाने वाली है तो एक नयी नीति की घोषणा कर देते हैं और जिस नयी नीति की घोषणा करते हैं, उस नयी नीति का कोई लाभ नहीं मिलता।

आपने नयी औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी, नयी आर्थिक नीति की घोषणा कर दी और सत्ता पक्ष के हमारे विद्वान मित्र लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि सरकार ने नयी औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी। आपकी घोषणाओं से इस देश का कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम आपकी नीयत पर संदेह नहीं कर रहे हैं लेकिन जो आप घोषणाएं करते हैं, उन्हें आप चरितार्थ कहां तक कर पाते हैं, उसे लागू कहां तक कर पाते हैं। चाहे आप जितनी भी नयी नीतियों की घोषणा करें, कृषि में जो तरक्की होनी चाहिए थी, इस देश की, वह तरक्की नहीं हुई और आज यही कारण है कि इस देश के जो 80 फीसदी किसान हैं, वह गरीब रह गए हैं। उनकी आर्थिक हालत खराब है और जो उनके खेत में उत्पादन होता है, उस उत्पादन का लाभकारी मूल्य उनको नहीं मिलता है। सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। एक साल में जब सरकार साढ़े तीन सौ या इससे कम रेट निर्धारित किया तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कहा था कि गेहूं पैदा करने में किसान को जो खर्च आ रहा है वह लगभग 400 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आ रहा है। अब 400 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान गेहूं पैदा करे और आप साढ़े तीन सौ रूपए उसका लागत मूल्य देंगे तो फिर किसान क्यों पैदावार करेगा? आपकी चाहे नई नीति हो या पुरानी नीतियां हो, सरासर गलत हैं। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में जो किसान गन्ना पैदा करते हैं, मैं दूसरे प्रदेशों का जिक्र न करके उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलों को जो गन्ना किसान देता है वह मजबूरी में देता है, लेकिन मेरा जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलों पर किसानों का आज तक का जो बकाया है वह 300 करोड़ रूपया है। गन्ना मिलें उनको पैसे का भुगतान नहीं कर रही हैं। किसानों की आवश्यकताएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रहा हैं, इतनी मेहनत करके वह गन्ना पैदा करके मिलों को दे लेकिन वह मिलें उनके पैसे का भुगतान नहीं कर रही हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में देवरिया में गंगेश्वर चीनी मिल है, पडरौना में किसानों ने मिलों पर धरना दिया लेकिन अभी तक उनका जो बकाया है उनके पिछले गन्ने का वह उनको नहीं दिया, तो वहां फायरिंग कराई गई और उसमें दो किसान मारे गए। सैकड़ों किसान घायल हो गए थे। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आपकी नीति चल रही है इसके चलते देश का जो उत्पादन है वह घटेगा। आपने खाद महंगी कर दी, डाई खाद महंगी कर दी, किसानों की कैपेसिटी नहीं रह गई। जो 10 बोरी खाद इस्तेमाल करता था अपने खेत में उसकी कैपेसिटी 5 बोरी की या 4 बोरी की रह गई। उसने आपका खाद इस्तेमाल नहीं किया और खाद महंगी होने के कारण आपकी सबसिडी घटाने के कारण उसका उत्पादन घटा।

अभी डॉ॰ नौनिहाल सिंह जी ने डंकल प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि ये देश के लिए सबसे खतरनाक प्रस्ताव है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने गलती की तो आप निमंत्रण दे रहे हैं आर्थिक गुलामी को, आप डंकल प्रस्ताव मान लेंगे तो इस देश के किसान खेती नहीं करेंगे, खेती करना बंद कर देंगे और जैसे आज मोहताज हो गए हैं आप वैसे ही मोहताज गल्ले के लिए भी हो जाएंगे। तो फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डॉ॰ नौनिहाल सिंह जी की बात का समर्थन करते हुए कि आप जो चर्चा चला रहे हैं देश में डंकल प्रस्तावों पर वह न करें . . .

श्री संघप्रिय गौतम : जब डंकल रिटायर हो गए तो प्रस्ताव भी रिटायर हो जाने चाहिए।

श्री ईश दत्त यादव : गौतम जी की बात से मैं सहमत हूं। लेकिन सरकार उसको आज भी खींचती जा रही है। इस देश में इसकी चर्चा चल रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव जो सरकार के विचाराधीन हैं जिन पर आपके मंत्रिमंडल में मतभेद हैं, ऐसे प्रस्तावों पर कुछ मंत्री कुछ बयान देते हैं, कुछ कहते हैं कि इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, आपके मंत्रिमंडल में भी एकता नहीं है, सरकार में एकता नहीं है तो देश के किसानों के हित में मेरा अनुरोध है कि जो डंकल प्रस्ताव हैं उनको अविलंब रिजेक्ट कर दिया जाए। उस पर अविलंब विचार किया जाए।

मान्यवर, सबसिडी आपने घटा दी। किसानों का उत्पादन कम कर दिया। दूसरे सूबे के किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। सूखा पड़ा हुआ है। कल यहां पूरे दिन सदन में सूखे पर चर्चा हुई। पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश और

दूसरे भागों में जहां सूखा पड़ा हुआ है उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं हो रही है। किसान के बीच हाहाकार मचा हुआ है। किसान रो रहा है। उसकी लहलहाती खेती सूख रही है। नर्सरी जो उसने लगाई हुई है वह सूख रही है। धान जो उसने रोप रखा है वह सूख रहा है। सरकार की नई कृषि नीति की घोषणा हो रही है। प्रकृति के ऊपर तो सरकार का या किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। आप बरसात करा नहीं सकते इसको हम मानते हैं लेकिन धरती के अंदर जो पानी है उसको निकालने में आपको क्या कठिनाई है ? 46 सालों के अंदर आपने धरती के अंदर से पानी नहीं निकाला। इसको निकालने की आपने कोई व्यवस्था नहीं की। जो नहरें आपने चालू की उन नहरों के अंदर आज भी पानी नहीं। बरसात के अंदर तक भी पानी नहीं। मैं उत्तर प्रदेश की नहरों की बात बता रहा हूं। वहां पानी नहीं है। उत्तर प्रदेश की नहरें कागज पर बनी हुई हैं। जो जमीन पर बनी हुई हैं वे बिना पानी के चल रही हैं। ट्यूबवैल लगाने में आपको क्या दिक्कत पड़ रही है ? मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था सरकार से कि बरसात कराने में आप असमर्थ हैं लेकिन धरती के अंदर से पानी निकालने के लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी। आपने ऐसी कोई योजना बनाई नहीं इसलिए सूखा पड़ता है। त्राहि-त्राहि किसानों के बीच में मची हुई है। किसान की लहलहाती फसल सूख गई है फिर उसकी जीविका का कोई साधन नहीं रह गया है। हमारे मित्र महेश्वर सिंह कह रहे थे वह सही बात है कि किसानों को सरकारी अनुदान के लिए, सरकार की मदद के लिए दौड़ना पड़ता है इसलिए मेरा अनुरोध है माननीय कृषि मंत्री जी से आप इस पर जोर दें ताकि सूखे की समस्या जो बार-बार आ जाती है उसको खत्म किया जा सके। अगर खत्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस समस्या को कम तो कर सकते हैं जमीन से पानी निकाल कर।

दूसरी समस्या है किसानों को बिजली न मिलने की। किसानों को बिजली न मिलने के कारण ट्यूबवैल नहीं चल रहे हैं। किसानों को 14 घंटे से 20 घंटे तक बिजली की आवश्यकता हो जाती है। जब सिंचाई का सीजन होता है उस वक्त खेतों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है और उस समय 14 घंटे से लेकर 20 घंटे तक बिजली की जरूरत पड़ती है किसान को। लेकिन आपने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। माननीय कृषि मंत्री जी जानते होंगे क्योंकि यह भी देहात के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और देश के किसी भी हिस्से में किसान को दो घंटे से 4 घंटे तक भी बिजली नहीं मिल पा रही है। किसान को बिजली नहीं मिल रही है तो जो उसने जो कर्ज लेकर ट्यूबवैल लगाये हैं वे ट्यूबवैल बेकार पड़े हुए हैं। आपने आज तक उनको बिजली देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। आप रोज घोषणा पर घोषणा करते चले जा रहे हैं हमारी यह नई आर्थिक नीति है, नई कृषि नीति है, नई औद्योगिक नीति है लेकिन बिजली के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है इन सारी नई नीतियों के अन्तर्गत।

श्री संघ प्रिय गौतम: नीति नई है मगर आदत पुरानी है।

श्री ईश दत्त यादव: खेती के उत्पादन के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए अच्छे बीजों की खोज की है उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। देशवासियों को उन पर गर्व है। हमारे कृषि वैज्ञानिक इस देश के अंदर नये तरीके के और अच्छे किस्म के बीजों का आविष्कार कर रहे हैं। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कृषि वैज्ञानिक जो नये बीज की खोज कर रहे हैं उससे इस देश को कोई लाभ आप दे पा रहे हैं या नहीं ? इसका समुचित वितरण किसान तक हो रहा है या नहीं ? मेरा कहना यह है कि वैज्ञानिकों की इस खोज का इस देश के किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि आज इस देश की पैदावार और उत्पादन घट रहा है। टाइटलर जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सरकार के प्रमुख मंत्री हैं। यद्यपि आप शहर के रहने वाले हैं और हम लोग गांव के रहने वाले हैं। हमें खेती खुद करनी पड़ती है। हम अपनी व्यथा समझते हैं। बड़ी तकलीफ में बैठकर किसान आपके लिए अनाज पैदा करता है और आप किसान के दर्द को नहीं समझते। किसान कितनी पीड़ा के साथ, मेहनत के साथ, अन्धेरी रात में, बरसात में, जेठ की तपती धूप में इस देश की धरती पर काम करता है।

5.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप चर्चा को यहीं खत्म करेंगे या अगले दिन के लिए इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

श्री ईश दत्त यादव: आगे बढ़ाएंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अगले दिन चर्चा में भाग लेंगे।

5.00 PM.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I want to raise a burning issue. About 100 or 150 advocates are on strike.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): At five o' clock he is mentioning it.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : ... for the past one month at Tindivanam. The Tindivanam constituency is a parliamentary constituency. The CM. wants to have a District and Sessions Court at Villipuram which is a part of the...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): This has nothing to do with the Private Members' Business.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : Therefore, I want this Government...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Sit down.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : ... to intervene. The Central Government should see ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : This is not a Zero Hour. You cannot make it like this. Please sit down.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : I submit that it is a very serious matter. The advocates are on strike for one month.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please sit down.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : It may turn into a people's agitation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : Please sit down.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : I have also sent an express telegram.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Hon. Members, I have to make an important announcement. On Monday, the 9th of August, 1993, there will be no sitting of the House to enable hon. Members to participate in the celebration connected with the Quit India Movement and to pay homage to martyrs of our freedom movement

I have also to inform the House that a meeting of the Members of both the Houses of Parliament will be held in that regard at 11.00 a.m. on that day in the Central Hall. There will be no sitting. There will be no holiday. We will have a joint meeting in the Central Hall.

Now, if the Members don't object, we can take up clarifications.

SHRI JAGDISH TYTLER: This is the fourth day. Let me, please, give the clarifications.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, there is no extension of sitting time of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : No extension ?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : Not at all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You don't want extension ?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Only from the coming Monday. Therefore, when there is no extension, how can we take up this subject?

SHRI JAGDISH TYTLER: Are you not interested in having clarifications on the strike ? ... *(Interruptions).*

I have been waiting for four days to give you replies. You are not interested. ...*(Interruptions).*

SHRI MOHAMMED AFZAL *Alias* MEEM AFZAL (Uttar Pradesh) : Tytler Saheb, it is not easy to give replies to us.

SHRI ISH DUTT YADAV (Uttar Pradesh) : Don't give replies. Solve the problem.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shall we take up the clarifications today?

SHRI S VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Minister, we have given you the lime to solve the problem and come.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I don't think the Members are ready to lake up the clarifications.

The House stands adjourned till 11.00 a.m. on Tuesday.

The House then adjourned at three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 10th August, 1993.